

**ACTION PLANS**  
**FOR**  
**THE CONTROL OF AIR POLLUTION**  
**IN**  
**15 NON-ATTAINMENT CITIES OF UTTAR**  
**PRADESH**

(LUCKNOW, KANPUR, AGRA, PRAYAGRAJ,  
VARANASI, GHAZIABAD, NOIDA, KHURZA,  
FIROZABAD, ANPARA, GAJRAULA, JHANSI,  
MORADABAD, RAEBARELI AND BAREILLY)



**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**TV-12V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR,**  
**LUCKNOW-226021**

INDEX

<b>S.No.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>PAGE</b>
1	Preface	1
2	Salient Features of the Hon'ble NGT Order for preparation & Implementation of Action Plan:	1
3	Action Plans Implantation and approval	02
4	Salient Features of the action Plans	03
5	Responsibilities of Departments/Agencies	05
6	Monitoring and Evaluation of Action Plans	06
7	Levels Of Air Pollution and effect on human health	06
8	National Ambient Air Quality Standards	07
9	Pollution levels/AQI can be obtained from	09
10	Ambient Air Quality of 15 Non-Attainment Cities of U.P	10
11	Hon'ble NGT Order OA No-681 of 2018	Annex-1
12	Constitution of Air Quality Monitoring Committee.	Annex-2
13	Action Plans for 15 Non Attainment Cities	Annex-3
14	Approval of Action Plan by CPCB, Delhi	Annex-4
15	National Ambient Air Quality Standards	Annex-5

## 1. Preface:

Central Pollution Control Board, Delhi, on the basis of values of Particulate Matter (PM10-Particle Matter Size less than 10 micron) in ambient air has identified 15 cities of Uttar Pradesh as Non-attainment cities:

1. Lucknow
2. Kanpur
3. Agra,
4. Prayagraj
5. Varanasi,
6. Ghaziabad,
7. Noida,
8. Khurza,
9. Firozabad
10. Anpara
11. Gajraula
12. Jhansi
13. Moradabad
14. Raebareli and
15. Bareilly

## 2. Salient Features of the Hon'ble NGT Order for preparation & Implementation of Action Plans:

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in O.A.No.681/2018 in News item published in "The Times of India" authored by Shri Vishwa Mohan Titled "NCAP with multiple timelines to clear air in 102 cities to be released around August 15 has given certain directions. The main directions are as follows:

- I. All the States with non-attainment cities must prepare appropriate action plan within two months aimed at bringing the standards of air quality within the prescribed norms within six months from the date of finalization of action plan.
- II. Action Plan may be prepared by 06 members Committee comprising of Directors of Environment, Transport, Industries, Urban Development, Agriculture and Member-Secretary State Pollution Control Board. The Committee may be called "Air

Quality Monitoring Committee" (AQMC). The AQMC will function under the overall supervision and coordination of Principle Secretary, Environment of concerned State.

- III. Action plan may take in to account the GRAP, the CAP and the action plan prepared by CPCB as well as all other relevant factors.
- IV. The action plan will indicate steps to be taken to check different sources of pollution having speedy, definite and specific timelines for execution.
- V. Action Plan should be consistent with the carrying capacity assessment of non-attainment cities in terms of vehicular pollution, industrial emission and population density, extent of construction & construction activities etc.
- VI. The committee constituting of (a) Shri Prashant Gargava, Member Secretary, CPCB (b) Dr. Mukesh Khare, Prof. IIT-Delhi & (c) Dr. Mukesh Sharma, Prof. IIT-Kanpur shall examine the action plans and on the recommendations of said committee, the Chairman CPCB shall approve the same.
- VII. The Chief Secretaries of the States will be personally accountable for failure to formulate action plans as directed.
- VIII. CPCB and all the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committee shall collectively workout and design a robust nationwide ambient air quality monitoring programme in a revised format by strengthening the existing monitoring network with respect to coverage of more cities/towns.

### **3. Action Plan Implantation and approval:**

- I. U.P. Pollution Control Board prepared draft action plans for 15 non- attainment cities of Uttar Pradesh.
- II. A Committee (AQMC) at the level of Government vides letter no. 01/55-Parya-2-2019-09(writ)/2016 on dated 02-01-2019 has been constituted. The members of the constituted Committee are as follows:-
  - a) Commissioner, Transport Department, Govt. of U.P. Member
  - b) Special Secretary, Urban Development Department, Government of U.P. Member
  - c) Director, Industries, Government of U.P. Member
  - d) Director, Environment, Government of U.P. Member
  - e) Director, Agriculture Department, Government of U.P. Member

- f) Member secretary, UPPCB, Lucknow, Member & Coordinator
- III. Draft Action Plans for 15 non-attainment cities has been reviewed by AQMC on 04-01-2019 and suggestions made for improvement.
- IV. After incorporating suggestions of AQMC draft action plan for 15 Non-attainment Cities were sent to Central Pollution Control Board, Delhi vide letter no. H32113/CL/294/Action Plan/18-19 on dated 31-01-2019 for their approval in accordance with the directions of Hon'ble NGT.
- V. On the basis of recommendations of 03 members Committee, Chairman Central Pollution Control Board has approved the Action Plans along with recommendations and issued Direction to the Government of U.P. under Section 31(A) of The Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 regarding preparation of action plans and its effective implementation vide letter no. AQM/AP/2019-20 dated 04.03.2019.

#### 4. Salient Features of the action Plans-

- i. The Action Plans comprises of 06 Major categories as given below:-
- a. Vehicle Emission Control
  - b. Suspension of Road Dust and Fugitive Emission Control
  - c. Control of Emissions form Biomass/ Crop residue/ Garbage/ Municipal Solid Waste burning
  - d. Control of Industrial Emissions
  - e. Control of Air Pollution from constructions and demolition activities.
  - f. Other Steps to Control Air Pollution
- ii. The Action Plans comprises of 58 Short and long term Action Points.
- The short term (immediate) activities which don't need advance preparedness and are to be implemented by concerned department/ agencies immediately.

- The long term action points require preparedness including making of DPRs, Sanctions, Budget allocation and implementation.
- iii. The Action Plan has to be implemented by 17 concerned Departments/ Agencies.

S. No.	Name of Department/Agencies	No. of Action Points
1	Transport Department	06
2	National Highway Authority of India(NHAI)	03
3	Public Works Department (PWD)	03
4	Nagar Nigam/Nagar Palika Parishad	23
5	Development Authorities	13
6	Vehicle Manufacturing Companies	01
7	Ministry of Road Transport & Highways	01
8	Traffic Police	02
9	Food & Civil Supply (District Supply Officer)	01
10	Oil companies	01
11	Forest Department	01
12	Irrigation Department	01
13	Agriculture Department	01
14	Urban Development Department	04
15	District Industries Centre (DIC)/ UPSIDC	01
16	U.P.Pollution Control Board	10
17	Housing companies	01

Note: some action points concerned with more than one department.

### 5. Responsibilities of Departments/Agencies:

- I. Identify the personnel responsible for implementation and in-house monitoring of action plan.
- II. Nominate and officer of the Level of special Secretary as Nodal Officer for implementation of action Plan.
- III. Organize training/ orientation workshop at the city level.
- IV. Start immediate implementation of the short term action points.
- V. Prepare DPR and issue Government orders etc within four week required for implementation
- VI. Sectioning of DPR within further two month.
- VII. Decide timeline for work completion.
- VIII. Ensure implementation of long term action plans.
- IX. Furnish monthly compliance report to UPPCB and Environment department of U.P in Prescribe Format by 7th of every month.



Environment Department, Govt. of U.P. <b>Nodal Department</b>
U.P.Pollution Control Board <b>Nodal Agency for monitoring</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ State level workshop for training/orientation of various Departments will be organized by UPPCB.</li> <li>➤ Web portal Development for compliance reporting.</li> <li>➤ Organizing monthly and quarterly review meeting.</li> </ul>

## 6. Monitoring and Evaluation of Action Plans:

Monitoring & Evaluation of Implementation of Action Plan will be carried out Quarterly by Principle Secretary, Environment.

## 7. Levels Of Air Pollution and effect on human health

- Air Quality Index (AQI) is a tool for effective communication of air quality status to people in terms, which are easy to understand. It transforms complex air quality data of various pollutants like PM10, PM2.5, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, CO etc. into a single number (index value), nomenclature and colour.
- There are six AQI categories, namely Good, Satisfactory, Moderately polluted, Poor, Very Poor, and Severe. Each of these categories is decided based on ambient concentration values of air pollutants and their likely health impacts (known as health breakpoints).
- AQI categories and health breakpoints are as follow:

	Minimal Impact	<b>Poor (201-300)</b>	Breathing discomfort to people on prolonged exposure
	Minor breathing discomfort to sensitive people	<b>Very poor (301-400)</b>	Respiratory illness to the people on prolonged exposure
	Breathing discomfort to the people with lung, heart disease, children and older adults	<b>Severe (401-500)</b>	Respiratory effect even on healthy people

## 8. National Ambient Air Quality Standards

Notification No. B-29016/20/90/PCI-L, 18th November, 2009

Central Pollution Control Board New Delhi

Sl. No.	Pollutants	Time Weighted Average	Concentration in Ambient Air		
			Industrial, Residential, Rural and Other Area	Ecologically Sensitive Area (notified by Central Government)	Method of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	50 80	20 80	-Improved West and Gaeke -Ultraviolet fluorescence
2	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	40 80	30 80	-Modified Jacob & Hochheiser (Na-Arsenite) -Chemiluminescence
3	Particulate matter (Size less than 10 $\mu\text{m}$ ), PM <sub>10</sub> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	60 100	60 100	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
4	Particulate matter (Size less than 2.5 $\mu\text{m}$ ), PM <sub>2.5</sub> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	40 60	40 60	-Gravimetric -TOEM -Beta attenuation
5	Ozone (O <sub>3</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 hours** 1 hour**	100 180	100 180	-UV photometric - Chemiluminescence -Chemical Method

6	Lead (Pb), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	0.50 1.0	0.50 1.0	-AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper - ED-XRF using Teflon filter
7	Carbon Monoxide (CO), $\text{mg}/\text{m}^3$	8 hours** 1 hour**	02 04	02 04	-Non Dispersive Infra Red (NDR) spectroscopy
8	Ammonia (NH <sub>3</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual* 24 hours**	100 400	100 400	- Chemiluminescence - Indophenol blue method
9	Benzene(C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> ), $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual*	05	05	- Gas chromatography based continuous analyzer - Adsorption and Desorption followed by GC analysis
10	Benzo(a)Pyrene(BaP)-particle phase only, $\text{ng}/\text{m}^3$	Annual*	01	01	- Solvent extraction followed by HPLC/GC analysis
11	Arsenic(As), $\text{ng}/\text{m}^3$	Annual*	06	06	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper
12	Nickel (Ni), $\text{ng}/\text{m}^3$	Annual*	20	20	- AAS/ICP method after sampling on EPM 2000 or equivalent filter paper

- Annual arithmetic mean of minimum 104 measurements in a year at a particular site taken twice a week 24 hourly at uniform intervals.
- \*\* 24 hourly or 08 hourly or 01 hourly monitored values, as applicable, shall be complied with 98% of the time in a year. 2% of the time, they may exceed the limits but not on two consecutive days of monitoring.

**9. Pollution levels/AQI can be obtained from:**

- Samir App developed by CPCB, Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)
- [www.cpcb.nic.in](http://www.cpcb.nic.in)

**10. Ambient Air Quality of 15 Non-Attainment Cities of U.P: Year 2017-2018**

The Board has been Monitoring Ambient Air Quality in 15 non-attainment cities of Uttar Pradesh namely Lucknow, Kanpur, Anpara, Agra, Ghaziabad, Gajraula, Noida, Varanasi, Firozabad, Jhansi, Khurja, Allahabad, Moradabad, Bareilly and Raibareilly at 52 Locations under National Air Monitoring Programme (NAMP). On perusal of average ambient air quality data obtained in the year 2017-2018, following are the conclusions-

1. The Average Values of Particulate matter less than 10 micron (PM10) have been found above the prescribed standard in all the cities.
2. The average values of Sulphur dioxide have been found within the prescribed standards in all the cities.
3. The average values of Nitrogen dioxide have been found within the prescribed standard except Kanpur and Allahabad.

**AMBIENT AIR QUALITY DATA OF NON ATTAINMENT CITIES OF  
UTTAR PRADESH  
(YEAR 2017-2018)**

S.No	Name of City	Year 2017 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Year 2018 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		
		PM10	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	PM10	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
1	Lucknow	230.70	8.19	25.41	215.85	8.03	28.50
2	Kanpur	224.34	6.65	44.46	216.98	7.11	45.54
3	Agra	186.10	7.00	14.75	218.76	5.30	21.87
4	Anpara	173.20	16.80	31.50	201.90	18.20	27.59
5	Gajraula	205.40	22.15	34.95	225.67	19.92	32.71
6	Ghaziabad	275.45	16.60	39.30	234.90	17.76	34.07
7	Varanasi	250.86	10.24	39.18	200.73	9.04	35.26
8	Noida	209.65	11.40	37.95	239.80	17.41	38.53
9	Firozabad	219.77	8.50	31.10	223.01	8.05	30.89
10	Jhansi	112.85	6.60	19.35	95.99	5.92	18.07
11	Khurja	192.45	22.70	21.15	204.65	20.62	19.20
12	Allahabad	145.26	4.30	41.00	231.05	3.91	46.32
13	Moradabad	213.05	19.60	33.50	227.42	19.88	34.33
14	Bareilly	206.85	11.50	21.40	227.30	11.38	22.83
15	Raebareli	140.93	11.37	17.23	132.14	11.30	17.36
	<b>Standard (Annual)</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>40</b>



389

कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 299/ओजी-633/2018

दिनांक - 06/05/2019

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, आगरा।
8. जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खम्ब, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता (नोडल), सिंवाई विभाग, आगरा।
11. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
12. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
13. महाप्रबन्धक, गैल गैस लि०, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. महाप्रबन्धक (विपणन), मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०,  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आगरा/  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
16. अध्यक्ष, केडाई, आगरा।
17. अध्यक्ष, ईट भट्टा एसोसिएशन, बाह, आगरा।

**विषय- जनपद आगरा हेतु तैयार एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में बैठक।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि WHO रिपोर्ट, 2014 के अनुसार इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर एवं लखनऊ सहित जनपद आगरा को वायु प्रदूषित शहरों (non-attainment cities/towns) की सूची में अंकित किया गया है। वायु प्रदूषित शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम किये जाने हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशन में हाई लेवल टारक फोर्स (HLTF) का गठन किया गया है।

अग्रेतर मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा 06 सदस्यीय एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायुगुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमोदित करते हुये वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी कियान्वयन के निर्देश दिये गये हैं।

अनुमोदित एयर एक्शन प्लान संलग्न है। उक्त के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-एन०जी०टी०- 130(2)/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 एवं संख्या- एन०जी०टी०-130/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 दिनांक 11.04.2019 द्वारा निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार जारी निर्देशों के दृष्टिगत अनुमोदित एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 17.05.2019 को अपराह्न 12:30 बजे कैम्प कार्यालय में आहूत की गयी है। एयर एक्शन प्लान की हार्ड कापी संलग्न है। सॉफ्ट कापी ई-मेल द्वारा भी प्रेषित की जा रही है।

अतएव आपसे पुनः अनुरोध है कि एयर एक्शन प्लान में अपने विभाग से सम्बन्धित एक्शन बिन्दुओं पर अद्यतन अनुपालन स्थिति के विवरण के साथ उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।

संलग्नक:-एयर एक्शन प्लान की प्रति।

भवदीय

*P. K. Adan*

(बी०पी० यादव)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (पृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

*P. K. Adan*

क्षेत्रीय अधिकारी

६



कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 550/ओजी-633/2019

दिनांक - 06/06/2019

सेवा में,


1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), आगरा।
5. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, आगरा।
8. जिला कृषि अधिकारी, आगरा।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. अधिशासी अभियन्ता (नोडल), सिंचाई विभाग, आगरा।
11. जिलापूर्ति अधिकारी, आगरा।
12. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
13. महाप्रबन्धक, गैल गैस लि०, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. महाप्रबन्धक (विपणन), मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, /  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, आगरा /  
महाप्रबन्धक (विपणन), मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
16. अध्यक्ष, फेंडाई, आगरा।
17. अध्यक्ष, ईट भट्टा एसोसिएशन, बाह, आगरा।

विषय- जनपद आगरा हेतु तैयार एयर एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आहूत बैठक दिनांक 17.05.2019 का कार्यवृत्त।

महोदय,


कृपया उपरोक्त सम्बन्ध में आगरा शहर के पर्यावरणीय गुणता सुधार हेतु दिनांक 17.05.2019 को आहूत एयर एक्शन प्लान की बैठक का कार्यवृत्त संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद नवीनतम/अद्यतन अनुपालन आख्या हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी (इंग्लिश में) इस कार्यालय को [Email-roagra@uppcb.com](mailto:Email-roagra@uppcb.com) पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-एयर एक्शन प्लान का कार्यवृत्त।

भवदीय  
  
 (सी०पी० यादव)  
 ज० क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

  
 ज० क्षेत्रीय अधिकारी

**Minutes of Meeting dated 17.05.2019**

**ACTION PLAN  
FOR  
THE CONTROL OF AIR POLLUTION  
IN  
AGRA CITY**



**REGIONAL OFFICE  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
14, SECTOR-3 B, AWAS VIKAS, SIKANDRA YOJNA  
AGRA**

## 1. INTRODUCTION

Agra is a city on the banks of the river Yamuna in the northern state of Uttar Pradesh, India. It is 378 kilometres west of the state capital, Lucknow, 206 kilometres south of the national capital New Delhi, 58 kilometres south from Mathura and 125 kilometres north of Gwalior. Agra is one of the most populous cities in Uttar Pradesh, and the 24th most populous in India. Agra is a major tourist destination because of its many Mughal-era buildings, most notably the Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri, all three of which are UNESCO World Heritage Sites. Agra is included on the Golden Triangle tourist circuit, along with Delhi and Jaipur, and the Uttar Pradesh Heritage Arc, tourist circuit of UP state, along Lucknow the capital of the state and Varanasi. Agra city has a population of 1,585,704, while the population of Agra cantonment is 53,053. The urban agglomeration of Agra has a population of 1,760,285. The city is located at 27.1767° N, 78.0081° E.

## 2. ACTION TAKEN BY THE BOARD

Board has issued directions to Principal Secretary Urban Development, Principal Secretary Forests, Principal Secretary Transport, Principal Secretary Agriculture, Managing Director Central U.P. Gas Ltd., Managing Director Indraprastha Gas Ltd, and Managing Director Green Gas Ltd. under section 31 (A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 regarding prevention and control of air pollution in Agra city on dated 05.09.2016 in compliance of directions issued by Central Pollution Control Board, Delhi under section 18(1) (b) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Board has also issued directions under section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended regarding prevention and control of air pollution in Agra city on dated 14.11.2017.

Ambient Air is being monitored regularly by the Board. At source emission monitoring i.e. stack monitoring of industries is also being done regularly and action is being taken accordingly on the basis of analysis report. If any industry is found violating the standards firstly show-cause notice is issued to the industry followed by closure under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

### 3. ANNUAL AVERAGE DATA OF AMBIENT AIR QUALITY PM<sub>10</sub> (µg/m<sup>3</sup>) (YEAR 2013-2018)

U.P. Pollution Control Board is monitoring ambient air quality of Agra city manually at 02 locations viz. for PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub> and NO<sub>2</sub> parameters. Annual Average data of Ambient Air Quality particularly PM<sub>10</sub> (Particulate Matter size less than 10 microns) were observed during the year 2013-18 are as given below.

S.No.	Name of Location	Category	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bodla	Sensitive	184.1	190.8	182	170.1	174.4	195.84
2	Nunhai	Sensitive	216.4	229.1	218	229.8	220	241.67
	STANDARD (annual average)	60 µg/m <sup>3</sup>						

### 4. SOURCES OF POLLUTION IN AGRA

The main sources of air pollution in Agra city are Vehicular, Road dust, Domestic Cooking, Industries (Point source & Areas source), Garbage burning & Agriculture waste burning etc. Data obtained from Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (2018) at Agra showed values of CO 1.19 (mg/m<sup>3</sup>); O<sub>3</sub> 25.00 (µg/m<sup>3</sup>); NO<sub>2</sub> 53.50(µg/m<sup>3</sup>); SO<sub>2</sub> 14.4 (µg/m<sup>3</sup>); PM<sub>2.5</sub> 113.0 (µg/m<sup>3</sup>); and Benzene 1.46(µg/m<sup>3</sup>), Toluene 4.12(µg/m<sup>3</sup>), Xylene 2.82(µg/m<sup>3</sup>).

Air pollution has been viewed seriously by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court & Hon'ble National Green Tribunal and issued specific directions from time to time for the improvement of the air quality of the city. Central Pollution Control Board has also issued direction under section 18 (1) (b) of the Air (Prevention & control of pollution) Act 1981, regarding prevention, control or abatement of Air pollution in various cities of Uttar Pradesh. Action taken by the Board Ambient Air is being monitored regularly by the Board. At source emission

monitoring i.e. stack monitoring of industries is also being done regularly and action is being taken accordingly on the basis of analysis report. If any industry is found violating the standards firstly show-cause notice is issued to the industry followed by closure under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

## 5. Short term & Long term Action Plan

### (A) Vehicle emission control

#### (a) Long Term Action Plan: Reduce congestion

Sl. No	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Compliance Status/Remarks/Directions
i	Plying of electric buses for public transport including establishment of sufficient charging stations.	360 days	Transport Department	As per information provided by RTO, Agra Electric and battery operated Buses, Auto Rickshaw shall be available for public in near future. Electric Rickshaws are to be commissioned nearly after two or three months.
ii	Prepare plan for construction of expressways/bypasses to avoid congestion due to non-destined vehicles.	360 days	N.H.A.I./PWD	As per information provided by NHAI, DPR work for construction of i) Agra Bypass Road (Northern) connecting NH-2 to Yamuna Expressway and ii) Left over portion of Agra Inner Ring Road from Deori to NH-3 (Agra-Gwalior Road) is already in progress.
iii	Construction of peripheral road around the city to avoid congestion.	360 days	N.H.A.I./PWD	Information is awaited
iv	Arrangement of Multilevel Parking Facilities	360 days	Nagar Nigam/Development Authorities	As per S.E-Agra Development Authority presently no multilevel parking is proposed. Future planning with Budget allocation will be informed later on.

				available.
SL No	(b) Short Term Action Plan Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i	Launch extensive drive against polluting vehicles for ensuring strict compliance	As regular activity	R.T.O/Traffic Police	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5451 Challans issued under Air Pollution from 01.04.2018 to 30.04.2019 by R.T.O.</li> <li>• 1531 Challans issued under Noise Pollution from 01.04.2018 to 30.04.2019 by R.T.O.</li> </ul>
ii	Launch public awareness campaign for air pollution control, vehicle maintenance, minimizing use of personal vehicles, lane discipline, etc.	As regular activity	R.T.O/ Traffic Police	<p>DM, Agra emphasized for Awareness Programs, Seminars and educational activities to should be conducted in summer camps, Slogans and short environment related movies should be displayed on LEDs screens, in theaters, multiplexes operational in city.</p> <p>RTO Agra informed that people are being made aware of road safety by running a road safety programme and motivating them to follow the road safety and traffic rules to make their fitness check out from time to time. Action is being taken from time to time on persons not wearing helmets and seat belts while driving.</p>
iii	Prevent parking of vehicles in the non-	As regular	Traffic Police/ Nagar	Information is awaited

vi	Development/Strengthening of Bike zone/Cycle zone at metro/railways/bus stations from where travelers hire bicycle to reach the destination.	360 days	Nagar Nigam/Development Authorities	Information is awaited
vii	Initiate steps for retrofitting of particulate filters in diesel vehicles, when BS-VI fuels are available	360 days	Vehicle Manufacturing Companies/Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH)	Information is awaited
viii	Use of Bio-Ethanol in the city/urban transport system/waste to energy.	360 days	Transport Department	As per information provided by RTO, Agra National Policy on Bio fuels has been approved by cabinet (Gov. of India) on 16.05.2018. Department of Biotechnology (Ministry of Science & technology) has given report on (First Biomass to ethanol plant and its commercialization) states that " The country's first second Generation (2G) ethanol plant was inaugurated by Union Minister for Science and Technology and Earth Science Dr. Harsh Vardhan at Kashipur in Uttarakhand. Subsequently, the technology was transferred to Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) to build commercial scale biomass to ethanol plants entirely based on the technology. The plants are scheduled to be operated by 2018." As soon as bio-fuel will be available in market, pilot project for public vehicles can be started. No such fuel is available presently in Agra. There are 180 Petrol Pumps in Agra. Till date Bio Diesel is not

	designated areas	activity	Nigam	
iv	Prepare & implement action plan to check fuel adulteration and random monitoring of fuel quality data	30 days	District Supply Officer/Oil companies	Information is awaited
v	Prepare & implement plan for widening of roads and improvement of infrastructure for decongestion of road	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi	Steps for promoting battery operated vehicles including establishment of charging stations.	120 days	Transport Department/Nagar Nigam & Development Authorities	RTO Agra informed that the battery operated 12 Mini buses are running from the Bijlighar crossing to the Taj Mahal by ADA. ADA has its own Battery charging station. 1886 Battery powered e-rickshaw have been registered upto 15.05.2019 having their own charging arrangements.
vii	Install weigh in motion bridges at the borders of cities/towns and States to prevent overloading of vehicles	180 days	Transport Department	As per information received from RTO, following four weigh in motion are installed in Agra:- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Farah toll plaza located on National Highway No-2.</li> <li>2. Tundia Toll Plaza Firozabad located at Mathura National Highway No-2.</li> <li>3. Kaurai (Fatehpur Sikri) Toll Plaza, Agra located National Highway No-11.</li> <li>4. Raibha Toll Plaza located South Bypass, Agra</li> </ol>

viii	Synchronize traffic movements/Introduce intelligent traffic systems for lane-driving	180 days	Traffic Police	Information is awaited
ix	Installation of remote sensor based PUC system	180 days	Traffic Police	Information is awaited

**(B) Suspension of road dust and other fugitive emissions control**

**(a) Long Term Action Plan**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Implementation of maintaining at least 33% forest cover area in the city in master plan.	180 days	Nagar Nigam/ADA/ Forest Department	Information is awaited
ii)	All the canals/nullah's side roads should be brick lined. Proper plantation also carried out.	360 days	Irrigation Department/ Forest Department/ NMCG	Information is awaited

**(b) Short Term Action Plan**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Information is awaited

i)	Prepare plan for creation of green buffers along the traffic corridors. Plantation of specific types of plants which are helpful in pollution control.	90 days	Forest Department/ Horticulture/ Nagar Nigam & Development Authorities	Information is awaited
ii)	Maintain potholes free roads for free-flow of traffic	90 days & as regular activity afterwards.	Nagar Nigam/ Development Authorities	Information is awaited
iii)	Introduce water fountains at major traffic intersection, wherever feasible	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
iv)	Greening of open areas, gardens, community places, schools and housing societies	90 days	Forest Department	Information is awaited
v)	Blacktopping of metalled road including pavement of road shoulders	180 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vi)	Use of treated effluent of STPs in Pollution Control Measure such as watering of Plants, sprinkling for dust suppression purposes.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited
vii)	Wall to Wall pavement for control of dust from road. Design the footpath pavement/tiles having capacity to grow grass in between.	180 days	Nagar Nigam	Information is awaited

(C) Control of emissions from biomass/crop residue/garbage/municipal solid waste burning

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by
---------	---------------	------------------------------	--------------------------------

				Responsible Departments	
i)	Launch extensive drive against open burning of bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc.			Nagar Nigam	DM, Agra directed Nagar Nigam for taking Strict action against defaulters and challans to be imposed on persons found guilty for burning bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. so as to reduce air pollution.
ii)	Regular check and control of burning of municipal solid wastes and use of fire extinguisher for control of fire in municipal solid waste and bio mass.	90 days		Nagar Nigam	-do-
iii)	Proper collection of horticulture waste (bio-mass) and its disposal following composting-cum-gardening approach			Nagar Nigam	Information is awaited
iv)	Ensure ban on burning of agriculture waste and crop residues and its implementation	180 days		Agriculture Department & U.P. Pollution Control Board	DM, Agra directed Nagar Nigam for taking Strict action against defaulters and challans to be imposed on persons found guilty for burning bio-mass, crop residue, garbage, leaves, etc. so as to reduce air pollution..
v)	Door to Door collection of segregated waste by agency and then its disposal directly in plant without dumping it on land.	90 days		Nagar Nigam	Information is awaited
vi)	Establishment of composting pits in Parks/residential societies etc for management of biodegradable waste.	90 days		Nagar Nigam/ADA	Information is awaited

vii)	No plot should be left open more than 02 years and planting of trees must be mandatory on vacant plots.	90 days	Nagar Nigam/ADA	Information is awaited	

**(D) Control of industrial emissions**

**(a) Long Term Action Plan**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Conversion of natural draft brick kilns to induced draft using zigzag technique in a phased manner.	360 days	U.P. Pollution Control Board	The representative of Brick kiln association told that Zig-Zag technology is applicable in regions where coal is used as fuel in Brick kilns, while Brick kilns of Agra are using mustard husk (Toori) as fuel. DM, Agra directed clarification should to be taken from CPCB in this regard.
ii)	Installation of Electrostatic precipitators and appropriate air pollution control devices in factory units/industries.	180 days	U.P. Pollution Control Board	RO, Agra informed that there is no-17 category industry established in Agra and the operation foundry industries fall, under small scale and using natural gas as a fuel in the district. No other fuel is allowed in the TTZ. All the air polluting units have installed APCs.

iii)	Development of mobile facility/van for continuous ambient air quality monitoring for different localities.	360 days	Nagar Nigam	Information is awaited
------	--	----------	-------------	------------------------

## (b) Short Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Identification of brick kilns and their regular monitoring including use of designated fuel, and closure of unauthorized units	60 days	U.P. Pollution Control Board,	The representative of Brick kiln association told that Zig-Zag technology is applicable in NCR region only where coal is used in Brick kilns, where as in Agra Brick kilns are using Turi as fuel. Illegal Brick kilns should be closed and Brick kiln association should also take necessary action against such defaulter Brick kiln.
ii)	Conversion of natural draft brick kilns to induced draft	120 days	U.P. Pollution Control Board,	As per point no (i)
iii)	Monitoring of industrial emission including real time online monitoring through OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) and live camera feed and to take action against non-complying industrial units	60 days, and thereafter, regular activity	U.P. Pollution Control Board	One Common Biomedical waste treatment facility unit M/s JRR Waste Management Pvt Ltd, Dharera Agra has already installed OCEMS and is connected to CPCB and UPPCB server.
iv)	Bank guarantee should be taken for the compliance of conditions imposed in CTO/CTE for control of Environmental Pollution from industries. The bank guarantee shall be	60 days, and thereafter, regular activity	U.P. Pollution Control Board	The same will be complied in due course of time.

	forfeited in case of any violation. Verification of these conditions to be carried out by UPPCB/selected Third Party Institutions/Quality control agencies etc.			
v)	Installation of web cams and OCEMS in Grossly Polluting Industries.	60 days	U.P. Pollution Control Board	The same will be complied in due course of time.

**(E) Control of air pollution from constructions and demolition activities**

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	
i)	Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016. Fine should be imposed on defaulting units.		Urban Development/Development Authorities	The compliance of Construction & Demolition Rules 2016 is mandatory for all contractors, suppliers, builders and fine should be imposed.
ii)	Control measures for fugitive emissions from material handling, conveying and screening operations through water sprinkling, curtains, barriers and dust suppression units;	15 days , and thereafter, continue as regular activity	Urban Development/Development Authorities	RO, Agra informed that CPCB and UPPCB conducted joint inspection of National Highway and issued notice to NHAI not complying the guidelines of Enforcement of Construction & Demolition Rules 2016.
iii)	Ensure carriage of construction material in closed/covered vessels.		Development authorities/ Regional Transport Department	DM, Agra directed Nagar Nigam and Development Authorities that cement, grit, sand and other construction material should be transported through covered

<p>iv) Environmental aspects should be included during preparation of master plan for development of city.</p>	<p>Proposed Master Plan for Agra City 2021</p>	<p>Urban Development/Development Authorities</p>	<p>Information is awaited</p>	<p>vehicles only.</p>
<p>v) Builders should leave 33% area for green belt in residential colonies. Plantation should be done as per Office order No. H16405/220/2018/02 dated 16.02.2018 available on website of the Board i.e., www.uppcb.com.</p>	<p>Within a reasonable timeframe</p>	<p>Urban Development/Development Authorities/ housing companies</p>	<p>Representative of CREDAI, Shri U.C. Sharma informed that that only 15 % green belt is to be developed by the builders as per the building by-laws. Therefore this matter should be referred to the Government for final clarification.</p>	
<p>vi) All construction areas must be covered to avoid dispersion of particulate matter</p>	<p>30 days</p>	<p>Nagar Nigam /Development Authorities</p>		<p>DM, Agra directed Development Authorities to impose conditions required for avoiding dispersion of particulate matter while issuing permission for maps of buildings. Cement, sand and other construction material should be transported through covered vehicles and Nagar Nigam should issue notices to Traders Selling construction materials in open. Regular sprinkling of water is required as per norms so as to reduce particulate matter.</p>

**(F) Other Steps to control Air Pollution**

(a) Long Term Action Plan

SL No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible

	i)	Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant etc.	360 days	Nagar Nigam	DM, Agra instructed that Nagar Nigam should take necessary action in this regard. Dead Bodies of Animals should be disposed through proper treatment facility like rendering plant operational at Kuberpur, Agra
	ii)	Installation of CAAQMS by polluting units/institutions etc. under "Polluters Pay Principles".	360 days	U.P. Pollution Control Board	Three Automatic Continuous Air Monitoring Stations are proposed. One installed at Nagar Nigam Buildings. Notices Should be issued to polluting units/institutions etc. under "Polluters Pay Principles".
	iii)	Source Apportionment, Emission Inventory & Carrying Capacity Assessment	Source Apportionment Study is being carried out by IIT Kanpur	U.P. Pollution Control Board	Source Apportionment study is being conducted by IIT Kanpur which is likely to be completed by the end of October, 2019
	iv)	Tree Plantation for mitigation of air pollution based on location of pollution sources and Windrose data	360 days	Forest department/Development Authority/TMD/Regional Office & UPPCB	Information is awaited

## (b) Short Term Action Plan

Sl. No.	Action Points	Timeframe for implementation	Action Required to be Taken by Responsible Departments	Information is awaited
i)	Air Quality Index to be calculated and disseminated to the people through	15 days, and thereafter, continue	U.P. Pollution Control Board,	Necessary action is required from UPPCB

	website and other media (on maximum fortnightly basis for manually operated monitoring stations and real time basis for continuous monitoring stations)	as regular activity		headquarter.
ii)	Establish an Air Quality Management Division at SPCB/PCC Head Quarters to oversee air quality management activities in the State and interact with CPCB	30 days	U.P. Pollution Control Board, Information is awaited	Necessary action is required from UPPCB headquarter.
iii)	Set-up and publicize helpline in the city/town as well as SPCB/PCC HQ for complaints against reported non-compliance	30 days	U.P. Pollution Control Board,	Necessary action is required from UPPCB Head Quarter.
iv)	Engage with concerned authorities on continual basis for maximizing coverage of LPG/PNG for domestic and commercial cooking with target of 100% coverage	30 days	District Supply Officer	Information is awaited
v)	Monitoring of DG sets and action against violations Fine should be imposed on defaulters.	30 days	U.P. Pollution Control Board,	Approximately 15 units mainly hotels were issued notices for conversion of DG sets into Gas Gensets. The conversion is under process.
vi)	Street vendors are to be controlled strictly in respect of removing their wastes and debris before leaving the site of operation	30 days	Nagar Nigam /Development Authorities	Information is awaited
vii)	Complete ban on littering of streets with	30 days	Nagar Nigam	Information is awaited

	municipal solid wastes (MSW). Segregation & source collection at source of MSW to be implemented.		/Development Authorities	
vii)	If Air Quality Index found severe or above grade, ensure availability of masks to public for protection.	90 days	Nagar Nigam	Information is awaited

In Continuation to the meeting, Regional officer, UPPCB asked all stakeholders/ departments to go through the short term and long term action plan prepared for Agra district and to submit their proposals, budget requirement and schemes to their concerned department at U.P Govt. level.

At last meeting was concluded with the vote of thanks to all the Participants.

*J. 28/05/19*  
(District Magistrate)  
Agra

*P. K. Singh*  
*28/5/19*  
(Regional Officer)

U.P Pollution Control Board  
Agra

**Action Plan for Control of Air Pollution in Non-Attainment cities**

**As on 30.10.2018**

1.	Name of the city	: Agra				
2.	Air Pollution concerns	: PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , NO <sub>x</sub>				
3.	Air pollution levels: annual average for past five years)	: Annexed as Annexure-1				
4.	Months with high air pollution levels	: January, April, May, November, December				
5.	<b>Draft Action Plan:</b>					
<b>Source</b>	<b>Action</b>	<b>Implementation period (Short/ Mid /Long-term)</b>	<b>Time target for Implementation</b>	<b>Responsible agency(ies)</b>	<b>Compliance Status</b>	
<b>Vehicles</b>	1. Restriction on plying and phasing out of 15 years old commercial diesel driven vehicles.	Mid	Dec,18	Transport Department (RTO & RM Transport)	श्री सुवीर कुमार, क्षेत्रीय निरीक्षक (यातायात) द्वारा अवगत कराया कि 15 वर्ष से पुरानी कुल 65 हजार गाड़ियों को नोटिस दिया गया एवं डी-रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।	
	2. Use of only cleaner fuels (CNG/LPG) for Passenger/LCV commercial vehicles.	Mid	June,18	Transport Department (RTO & RM Transport) & Oil companies, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is presently having sufficient CNG dispensing capacity for automotive use. Currently there is only an approx. requirement (equivalent sale) of 60,000 kg/Day for CNG vehicles running in Agra, while GGL has the capacity to dispense 1,42,000 kg/day, which is sufficient to cater the CNG demand in Agra City.	
	3. Regular checking of vehicular emission and issue of Pollution under Control Certificate (PUC).	short	April,18	Transport Department & Traffic Police	क्षेत्रीय निरीक्षक यातायात के अनुसार जनपद में कुल-21 पीयूसी है। अपर जिलाधिकारी आगरा ने आगरा में इनकी संख्या बढ़ाये जाने हेतु पेट्रोल पम्प स्वामियों के साथ एक बैठक किये जाने हेतु समायोज्य परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है। परिवहन विभाग से कोई प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण सेवक व्यक्त किया गया है।	
	4. Good traffic management including re-direction of	Mid	July,18	Traffic Police & ASCL	बैठक में विजली घर के चौकहे पर हो रहे जाम की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। पुलिस (यातायात) विभाग से कोई भी	

	traffic movement to avoid congestion.				उपस्थित नहीं हुआ।
5.	Ban on registration of Diesel driven auto-rickshaw / Tempo.	Short	April, 18	Transport Department (RTO)	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि डीजल से चालित आटोरिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 25.06.2018 से बन्द है।
6.	Promotion and operationalization of E-rickshaw.	Mid	June, 18	Transport Department (RTO)	उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आगरा में लगभग 250 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड है। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन एवं एसेम्बल ई-रिक्शा का संचालन बन्द कराया जाये।
7.	Development of Multi-layer parking.	Long	Dec. 19	Agra Municipal Corporation, Agra Development Authority & District Administration	मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में कोई मल्टी-लेयर पार्किंग प्रस्तावित नहीं है।
8.	Checking of fuel adulteration	Short	April, 18	Supply Department & Oil company	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
9.	Monitoring on vehicle fitness.	Short	April, 18	Transport Department & Traffic Police	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिनिधि को फिटनेस से सम्बन्धित स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
10.	Periodic calibration test of vehicular emission monitoring instrument.	Short	April, 18	Transport Department	कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।
11.	Shifting of Transporters from Hathighat to Transport Nagar.	Long	Dec. 18	Transport Department (RTO & RM Transport)	ट्रान्सपोर्ट नगर के रोड आदि विकास कार्यों के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (नगर) एवं अपर नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया है एवं तत्सम्बन्धी योजना पर कार्यवाही की जा रही है।
1.	Mechanical Sweeping of road dust.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, NHAI	सदुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि ताजमहल सहित 12 मुख्य मार्गों पर कुल-04 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों द्वारा रोड डस्ट की सफाई की जा रही है।

2. Water spraying on road through tankers.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, NHAI	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि उक्त 04 मेकैनिकल स्वीपिंग मशीनों के साथ कुल-06 टैंकर का प्रयोग वाटर स्प्रेज हेतु किया जा रहा है।
3. Construction of pucca pavement along the roads.	Mid	Dec. 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, ASCL	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि पालीवाल पार्क के पास पक्का पेवमेन्ट का कार्य कराया जा रहा है।
4. Tree plantation along the roads.	Long	Aug. 19	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, NHAI, PWD	सम्बन्धित विभागों से प्रगति आख्या वाञ्छित है।
5. Development of green belt in open areas, gardens, parks/ community places, schools & housing societies.	Long	Aug. 19	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra - Development Authority, FOREST, UPSID C	सम्बन्धित विभागों से प्रगति आख्या वाञ्छित है।

Construction activities	1. Covering of construction site.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही न होने पर शेष व्यक्त किया गया। सिकन्दरा स्थित मण्डी के सामने, इनर रिंग रोड एवं आवास विकास में निर्माणाधीन इमारतों से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
2. Transportation of construction materials like sand, soil, stone chips etc. in covered system.		Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board, Agra Development Authority, Transport Department, District Adm. & Traffic Police, CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही न होने पर शेष व्यक्त किया गया। जनपद आगरा में प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर कॅमरा लगाये जाने, जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's & Dont's सम्बन्धी हार्डिंग लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
3. Restriction on storage of construction materials along the road.		Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, CREDAI	सयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में 15 चालान किये गये हैं एवं ₹0 1 लाख का जुर्माना आरोपित किया गया।
Biomass and Garbage	1. Restriction on open burning of municipal solid waste, Biomass, plastic, horticulture waste Crop residue etc and Fines to be imposed	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, Agriculture Department - Agra, Department of Revenue	नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-08-2018 से 31-08-2018 तक कुल-27.04 कि०ग्र० जल्ल की गयी एवं ₹0 60100/- मात्र का जुर्माना आरोपित किया गया है। कूड़ा-करकट जल्लाये जाने के सम्बन्ध में विवरण वांछित है।

	2. Proper collection and segregations of municipal solid waste and horticulture waste (bio-mass) and its disposal following composting-cum-gardening approach.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation	नगर निगम स्तर से विवरण वांछित है।
	3. Transportation of municipal solid wastes, construction materials and debris in covered system.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि कुल-122 वाहनो द्वारा सॉलिड वेस्ट का व्यवहन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
	4. Establishment of waste to energy plant at Landfill site to avoid scattered burning of municipal solid waste	Long	April, 2020	Agra Municipal Corporation	संयुक्त नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में Ad-hoc moratorium लागू होने के कारण वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट की स्थापना पर रोक प्रभावी है।
	1. Ensuring installation and operation of air pollution control devices in industries with reference to NO <sub>x</sub> .	long	-	UPPCB/ MoEF&CC	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नेचुरल गैस आधारित उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के रूप में वेटरकबर आदि की स्थापना की गयी है एवं इनका निरन्तर किया जा रहा है।
	2. Ensuring emission standards in industries with reference to NO <sub>x</sub> .	long	-	UPPCB/ MoEF&CC	-तदैव-
Industries	3. Adoption of cleaner technology like zig-zag in brick kilns by April, 2019.	Mid	April, 19	UPPCB	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त ईंट मटलों को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है एवं समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी है।
	4. Shifting of polluting industries to conforming zone.	Long	Dec. 19	UPPCB / Industry Department/ District Administration	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिन्दु को जनपद आगरा हेतु तैयार किये जा रहे विजन डॉक्यूमेन्ट में समावेशित किया गया है एवं विचारणीय है।
	5. Ban on polluting industries and use of fossil fuel.	Short	April, 18	DVVNL, Torrent Power Ltd,	क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन के सहयोग से अनवरत रूप से कोयला/कोक

					प्रयोग करने वाली इकाईयों मुख्य रूप से पेटा इकाईयों को बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
	6. Restriction on new polluting industries	Immediate		DVVNL, Torrent Power Ltd, UPPCB & Industry Department	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 10 टॉरेन्ट पावर लि0 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना विद्युत संयोजन न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिला उद्यम एवं प्रोत्साहन केन्द्र को प्रदूषण से सम्बन्धित अनापत्ति निर्गत नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
	7. Shifting of Petha units to Kalindi Vihar	Long	Dec.19	UPPCB, District Administration, Agra municipal Corporation, ADA	मुख्य अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया कि कालिन्दी विहार में प्लॉट्स का चिन्हांकन किया गया है। कालिन्दी विहार में पानी की क्वालिटी की समस्या होने के कारण गंगा याटर उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
	8. Shifting of electroplating units from residential area to dedicated area eg Rahankalan, Lakhapur	Long	Dec. 19	UPPCB Torrent Power Agra municipal Corporation, District Administration.	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाईयों को रहनकला में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तावित कॉमन एप्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त 10 सर्वोच्च न्यायालय एवं Ad-hoc moratorium के दृष्टिगत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
	9. Ban on Hot Mix Plants	Short	April 18	District Administration, UPPCB, PWD, NHAI, Agra Development Authority	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में समस्त हॉट मिक्स बन्द है। यद्यपि गैस बेस्ड हॉट मिक्स प्लान्ट के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन विचारार्थीन है।

Strengthening of Air Quality monitoring	1. Installation of Three CAAQMS at Agra a. Establishment of CAAQM Stations with PM2.5 sensor and connecting the same with the National AQI Portal.	Mid	Aug.18	UPPCB & CPCB	One CAAQMS is Already Installed at Nagar Nigam Office. However one more CAAQMS has been proposed by CPCB.
	b. Source apportionment study to be performed for the city with some agency of national repute.	Mid	Aug 18	UPPCB/ AGRA Development Authority / CPCB	प्रमारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आगरा में व्याप्त वायु प्रदूषण के दृष्टिगत आईओआईटी, कानपुर द्वारा Source apportionment स्टडी की जा रही है।
Public Awareness	1. Issue of advisory to public for prevention and control of air pollution	Short	April, 18	UPPCB & Ministry of Environment, U.P.	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's & Dont's सम्बन्धी हार्डिंग मुख्य स्थलों सहित स्कूलों में लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
	2. Involvement of school and other academic institution in awareness program.	Mid	Aug.18	UPPCB DIOS BSA CREDAI	अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेली के माध्यम से स्कूलों में जागरूकता बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।

Others	1. Conversion of diesel generator sets to gas based in city and action against violation	Long	April, 20	Electrical Safety Department, Department of Factories, UPPCB & GAIL, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is having sufficient gas availability to fulfill the requirement of gas generators in Agra and accordingly GGL is expanding its pipeline infrastructure to provide the same.
2. Ensuring use of cleaner fuel like gas instead of coal, upla etc. for commercial purposes.	Long	Dec. 20	District Administration, & Agra Municipal Corporation, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is already connected PNG to 78 Nos. of commercial customers in Agra city and plan to connect when they approach to GGL for the same.	
3. Help line to oversee non compliances on aforesaid issues.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, UPPCB, District Administration	वर्तमान में हेल्प लाइन उपलब्ध नहीं है।	

	4. Afforestation and Plantation to reduce carbon footprint in city and in Industrial areas	Long	April, 20	Commissioner Agra, District Administration, Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board and Agra Development Authority, District Industrial Center, Industries, UPSIDC UPPCB	इस सम्बन्ध में विभागों से प्रगति वाञ्छित है।
--	--	------	-----------	--	--

10. **Monitoring mechanism for implementation:** The aforesaid action plan shall be implemented by Uttar Pradesh State Pollution Control Board with co-ordination of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Central Pollution Control Board, CREDAI NHAI, GAIL, Green Gas Ltd, Department of Environment and Forest, Govt. of Uttar Pradesh, Urban Development & Housing Department, Transport Department, Agra Municipal Corporation, Traffic Police, DVVNL, TORRENT POWER LTD, Electrical Safety Department, Industries, DIOS, BSA and District Administration. Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall regularly review the implementation of aforesaid action plan.

Strengthening of Air Quality monitoring	<p>1. Installation of Three CAAQMS at Agra</p> <p>a. Establishment of CAAQM Stations with PM2.5 sensor and connecting the same with the National AQI Portal.</p>	Mid	Aug.18	UPPCB & CPCB	<p>One CAAQMS is Already Installed at Nagar Nigam Office. However one more CAAQMS has been proposed by CPCB.</p>
	<p>b. Source apportionment study to be performed for the city with some agency of national repute.</p>	Mid	Aug 18	UPPCB/ AGRA Development Authority / CPCB	<p>प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद आगरा में व्याप्त वायु प्रदूषण के दृष्टिगत आईओआईटी, कानपुर द्वारा Source apportionment स्टडी की जा रही है।</p>
Public Awareness	<p>1. Issue of advisory to public for prevention and control of air pollution</p> <p>2. Involvement of school and other academic institution in awareness program.</p>	Short	April, 18	UPPCB & Ministry of Environment, U.P.	<p>अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु Do's &amp; Dont's सम्बन्धी हार्डिंग मुख्य स्थलों सहित स्कूलों में लगाये जाने के निर्देश दिये गये।</p>
		Mid	Aug.18	UPPCB DIOS BSA CREDAI	<p>अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रेली के माध्यम से स्कूलों में जागरूकता बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।</p>

Others	1. Conversion of diesel generator sets to gas based in city and action against violation	Long	April, 20	Electrical Safety Department, Department of Factories, UPPCB & GAIL, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is having sufficient gas availability to fulfill the requirement of gas generators in Agra and accordingly GGL is expanding its pipeline infrastructure to provide the same.
	2. Ensuring use of cleaner fuel like gas instead of coal, upla etc. for commercial purposes.	Long	Dec. 20	District Administration, & Agra Municipal Corporation, Green Gas Limited	M/s Green Gas Limited is already connected PNG to 78 Nos. of commercial customers in Agra city and plan to connect when they approach to GGL for the same.
	3. Help line to oversee non compliances on aforesaid issues.	Short	April, 18	Agra Municipal Corporation, UPPCB, District Administration	वर्तमान में हेल्प लाईन उपलब्ध नहीं है।

	4. Afforestation and Plantation to reduce carbon footprint in city and in Industrial areas	Long	April, 20	Commissioner Agra, District Administration, Agra Municipal Corporation, U.P. Housing And Development Board and Agra Development Authority, District Industrial Center, Industries, UPSIDC UPPCB	इस सम्बन्ध में विभागों से प्रगति वांछित है।
--	--	------	-----------	--	---


10. **Monitoring mechanism for implementation:** The aforesaid action plan shall be implemented by Uttar Pradesh State Pollution Control Board with co-ordination of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Central Pollution Control Board, CREDAI NHAI, GAIL, Green Gas Ltd, Department of Environment and Forest, Govt. of Uttar Pradesh, Urban Development & Housing Department, Transport Department, Agra Municipal Corporation, Traffic Police, DVVNL, TORRENT POWER LTD, Electrical Safety Department, Industries, DIOS, BSA and District Administration. Uttar Pradesh State Pollution Control Board shall regularly review the implementation of aforesaid action plan.

अवगत कराना है कि आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.09.2023 को सम्पन्न टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की 61वीं बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि आई0आई0टी0 कानपुर की रिपोर्ट पर विभागों द्वारा किये जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जाये।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा की गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study में दिये गये Control Option and Action Plan for City of Agra के अनुसार की गई कृत कार्यवाही की Action Taken Report प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई0डी0 roagra@uppcb.in एवं हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जाने कष्ट करें, जिससे कि संकलित Action Taken Report को जिला पर्यावरण समिति एवं टी0टी0जेड0 प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(डा० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं अंतिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/8/23  
क्षेत्रीय अधिकारी

dc

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
5. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
7. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा- इटावा खण्ड।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
12. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

**विषय:-**राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी कार्यालय, आगरा के पूर्व प्रेषित पत्रांक 706/ओजी-865/2022 दिनांक 30.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से-Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु आपके विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की मासिक एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नवनीत सिंह चहल)

जिलाधिकारी,

आगरा।

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाथ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,  
आगरा।

कार्यालय 423 लाधिकारी, आगरा

पत्रांक - 706/ओजी-665/2022

दिनांक - 30/09/2022

सेवा में

1. नगर आयुक्त, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी, आगरा।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
6. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
8. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन विभाग, आगरा।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
11. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद-आगरा खण्ड, आगरा-इटावा खण्ड।
12. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा।
13. मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), संजय प्लेस, आगरा।

**विषय:-**राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर के वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार हेतु आई०आई०टी० कानपुर से करायी गई Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study in the city of Agra में दिये गये Control Options एवं Action Plan के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक सं०-348/ओजी-665/2022 दिनांक 22.08.2022 एवं ई-मेल दिनांक 18.08.2022 तथा दिनांक 27.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा शहर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं सुधार किये जाने के सम्बन्ध में आई०आई०टी० कानपुर से Air Quality Assessment, Trend Analysis, Emission Inventory and Source Apportionment Study के आधार पर वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स प्रेषित किये गये थे तथा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक उत्तरदायी विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के सुधार एवं नियंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में तैयार किये गये एक्शन प्लान/पॉइन्ट्स की कृत कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा की ई-मेल आई०डी० roagra@uppcb.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(नयनीत सिंह चहल)

जिलाधिकारी,

आगरा

92

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, आगरा को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई कृत कार्यवाही की आख्या जिला पर्यावरण समिति में प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी,

आगरा

92



Construction and Demolition	Daily, Monthly, mass balance of MSW generation and disposal	Agra Municipal Corporation		UFP/CPB:-1. Regular Monitoring is being done in industrial areas to stop waste burning. No evidence has been observed of waste burning in industrial areas. 2. Sensitizing childrens in schools through debates, workshops and literature distribution on various aspects regarding abatement of pollution.
	Sensitize people and media through workshops and literature distribution.	Agra Municipal Corporation, UFP/CPB and NGO		
	Wet suppression	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immediate	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AHRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023. The process of Wet suppression is followed on daily basis at under construction service road site at Deon near Kotha canal. All the building material is covered at site by green net. The surrounding roads are being regularly sprinkled by tanker since the work started. N.N:- नगर प्रोग्रामर सेल का एड-519 / D/AE/2023 फॉर्म 27-12-2023 सेल सेल नगर का ई फॉ 13 सड़क सिविलिंग वर्क-ई फॉ नगर ई प्रोडि-ए सड़क सिविलिंग नगर का एड ई. फॉर्म नगरसेल का प्रोग्रामर ई यमनस एडर एडि-सेल ई एड ई 1
	Wind speed reduction (for large construction sites)	Agra Development Authority, Agra Housing Board / ADA, Agra Municipal Corporation, Urban Development Department, PWD	Immerative	ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AHRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 No such large construction sites. PWD :-Informed by letter Dated: 30.11.2023 Being following ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AHRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Done as per norms. -Informed by letter Dated-30.11.2023 No CAID work is going on but interventions being following







<p><b>Vehicles</b></p>	<p>Vacuum assisted sweeping carried out four times in a month, this will reduce road dust emission by 71%</p>	<p>Agra Development Authority, Agra Housing Board/ADA, Agra Municipal Corporation, National Highway Authority, PWD</p>	<p>3 years</p>	<p>ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.                  PWD :-Informed by letter Dated-30.11.2023 Not Related to PWD                  N.N.- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nilgum, Agra, Mechanical Road sweeping is done on daily basis. Work order has been issued to hire the 04 new MRS machines on contract basis.                  N.H.A.I:- Informed by letter number - AEBOT/NHAI/PO/2023-4249 Dated 12.12.2023 that Concessionaire is using hydraulic Vacuum sweeper for sweeping of road, water sprinkling to control dust and watering in median/median plants and provide Photographs are enclosed here with for your kind information and record please.</p>
<p>Diesel vehicle entering the city should be equipped with DPF which will bring a reduction of 40 in emissions (This option must be explored once Bharat stage VI rule is available)</p>	<p>Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.</p>	<p>State Transportation Department</p>	<p>3 years</p>	<p>RTD:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. From 1/04/2020 only BS VI vehicle are being registered. BS IV Vehicle have been denied for registration                  ADA :-Informed by letter number - 165/D/AE/AIRR-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p>
<p>Industry must be encouraged to use Bharat stage VI vehicles for transportation of raw and finished products</p>	<p>State Transportation Department Industrial Associations</p>	<p>Transport Department, Factory owners Association</p>	<p>Immediate</p>	<p>UP/PSIDC, thous you terna bhagat phre anee gita ya tho-bhous /antra /sara /ang vanya /2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508-3509-3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516-3517-3518-3519-3520-3521-3522-3523-3524-3525-3526-3527-3528-3529-3530-3531-3532-3533-3534-3535-3536-3537-3538-3539-3540-3541-3542-3543-3544-3545-3546-3547-3548-3549-3550-3551-3552-3553-3554-3555-3556-3557-3558-3559-3560-3561-3562-3563-3564-3565-3566-3567-3568-3569-3570-3571-3572-3573-3574-3575-3576-3577-3578-3579-3580-3581-3582-3583-3584-3585-3586-3587-3588-3589-3590-3591-3592-3593-3594-3595-3596-3597-3598-3599-3600-3601-3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-3609-3610-3611-3612-3613-3614-3615-3616-3617-3618-3619-3620-3621-3622-3623-3624-3625-3626-3627-3628-3629-3630-3631-3632-3633-3634-3635-3636-3637-3638-3639-3640-3641-3642-3643-3644-3645-3646-3647-3648-3649-3650-3651-3652-3653-3654-3655-3656-3657-3658-3659-3660-3661-3662-3663-3664-3665-3666-3667-3668-3669-3670-3671-3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683-3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695-3696-3697-3698-3699-3700-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708-3709-3710-3711-3712-3713-3714-3715-3716-3717-3718-3719-3720-3721-3722-3723-3724-3725-3726-3727-3728-3729-3730-3731-3732-3733-3734-3735-3736-3737-3738-3739-3740-3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747-3748-3749-3750-3751-3752-3753-3754-3755-3756-3757-3758-3759-3760-3761-3762-3763-3764-3765-3766-3767-3768-3769-3770-3771-3772-3773-3774-3775-3776-3777-3778-3779-3780-3781-3782-3783-3784-3785-3786-3787-3788-3789-3790-3791-3792-3793-3794-3795-3796-3797-3798-3799-3800-3801-3802-3803-3804-3805-3806-3807-3808-3809-3810-3811-3812-3813-3814-3815-3816-3817-3818-3819-3820-3821-3822-3823-3824-3825-3826-3827-3828-3829-3830-3831-3832-3833-3834-3835-3836-3837-3838-3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3850-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-3861-3862-3863-3864-3865-3866-3867-3868-3869-3870-3871-3872-3873-3874-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3885-3886-3887-3888-3889-3890-3891-3892-3893-3894-3895-3896-3897-3898-3899-3900-3901-3902-3903-3904-3905-3906-3907-3908-3909-3910-3911-3912-3913-3914-3915-3916-3917-3918-3919-3920-3921-3922-3923-3924-3925-3926-3927-3928-3929-3930-3931-3932-3933-3934-3935-3936-3937-3938-3939-3940-3941-3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948-3949-3950-3951-3952-3953-3954-3955-3956-3957-3958-3959-3960-3961-3962-3963-3964-3965-3966-3967-3968-3969-3970-3971-3972-3973-3974-3975-3976-3977-3978-3979-3980-3981-3982-3983-3984-3985-3986-3987-3988-3989-3990-3991-3992-3993-3994-3995-3996-3997-3998-3999-4000-4001-4002-4003-4004-4005-4006-4007-4008-4009-4010-4011-4012-4013-4014-4015-4016-4017-4018-4019-4020-4021-4022-4023-4024-4025-4026-4027-4028-4029-4030-4031-4032-4033-4034-4035-4036-4037-4038-4039-4040-4041-4042-4043-4044-4045-4046-4047-4048-4049-4050-4051-4052-4053-4054-4055-4056-4057-4058-4059-4060-4061-4062-4063-4064-4065-4066-4067-4068-4069-4070-4071-4072-4073-4074-4075-4076-4077-4078-4079-4080-4081-4082-4083-4084-4085-4086-4087-4088-4089-4090-4091-4092-4093-4094-4095-4096-4097-4098-4099-4100-4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4114-4115-4116-4117-4118-4119-4120-4121-4122-4123-4124-4125-4126-4127-4128-4129-4130-4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137-4138-4139-4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147-4148-4149-4150-4151-4152-4153-4154-4155-4156-4157-4158-4159-4160-4161-4162-4163-4164-4165-4166-4167-4168-4169-4170-4171-4172-4173-4174-4175-4176-4177-4178-4179-4180-4181-4182-4183-4184-4185-4186-4187-4188-4189-4190-4191-4192-4193-4194-4195-4196-4197-4198-4199-4200-4201-4202-4203-4204-4205-4206-4207-4208-4209-4210-4211-4212-4213-4214-4215-4216-4217-4218-4219-4220-4221-4222-4223-4224-4225-4226-4227-4228-4229-4230-4231-4232-4233-4234-4235-4236-4237-4238-4239-4240-4241-4242-4243-4244-4245-4246-4247-4248-4249-4250-4251-4252-4253-4254-4255-4256-4257-4258-4259-4260-4261-4262-4263-4264-4265-4266-4267-4268-4269-4270-4271-4272-4273-4274-4275-4276-4277-4278-4279-4280-4281-4282-4283-4284-4285-4286-4287-42</p>

Source	Control Action	Responsible authorities/agencies	Time Frame	Compliances
	Restriction on plying and phasing out of 10 years old commercial diesel driven vehicles.		2 years	<p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023. As an added feature and achievement made by our Factory Owner's Association we are happy to inform Eoecem UPPCB that during this monsoon our Association has planted almost 5000 saplings of various trees at an allotted area of land in Industrial Estate, Nuthi space provided by Eoecem DIC, Directorate of Inds., Govt. of U.P.</p> <p>Factory owner's association:- Informed by letter number - FOA/25/2023-24 Dated 14.09.2023. Further we would like to express our grievance against Agra Nagar Nilgani &amp; Traffic Police, Agra where by ANN has not rightly ignored beautification of underneath of Ram Png Flyover. It is in horrible condition there is garbage dump yard made of such important place that can be well utilized as a small public park or even for parking of auto taxis, there is so much chaos of traffic jam at this major Barambagh crossing traffic police are totally failure to handle the heavy traffic even traffic signals are not functioning and standing as just showpiece since the installation done by Agra Smart City more than three years before. More over UPPSRTC buses are still &amp; continue to illegally ply on National Highway-19 at various spot causing severe traffic jam this sheer nuisance activity of UPPSRTC has nullified the existence &amp; convenience of Bypass made by NHAI for smooth traffic movement the traffic police of Agra is totally failure to control illegal stoppages, these UPPSRTC buses stop on NH-19 just for the picking &amp; drop of passengers at their own convenient stop, it can be said that NH-19 route in Agra is one of the major bus stand illegally operating at various spot many hundreds &amp; hundreds of passengers are standing and waiting for buses on road to NH-19 which should be completely stopped but regret to say irrespective of DM serial orders there is no change &amp; progress in this illegal transportation activity carried out by UPPSRTC. Also it is high time that UPPSRTC must change &amp; switch over its fleet of badly state &amp; rained condition of diesel passenger buses of more than 10 years old &amp; to be replaced with electrical airconditioned buses for the benefit of long route passengers, after all we have double engine Government in U.P. and also try to make Agra traffic movement in a much needed smooth controlled manner the Traffic Police officers who are not able to give best of results in performing their duties honestly should be debarred/suspended with immediate effect. We are informing this matter as we aggrieved factory owners very often take this road for to &amp; fro of our factories and everyday we get stuck up in traffic jams on NH-19 as well as at Ram Bagh Crossing underneath of Flyover.</p> <p>Policy to be decided at State level Authority</p>

Introduction of cleaner fuels (CNG/ LPG) for vehicles.	Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs and Oil Companies (Indian Oil/HP, etc.)	2 years	DSO:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. In Agra 24 retail outlet are providing CNG as a clean fuel.
Check overloading: Expedient installation of weigh-in-motion bridges and machines at all entry points to Agra.	Transport Department, Traffic Police, Agra. NHAI, Toll agencies	Immediate	RTD:- Informed by mailed letter Dated 29.11.2023. Total 3847 challans in overloading have been done from 1-Apr-23 to 31-Oct-23. Currently 3 motion bridges are working in Agra. 1.Koral Toll Plaza 2.Sayan Toll plaza 3. Fatehabad Toll plaza एक प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर भारी वाहनों के वजन को नियंत्रित करने के लिए 2023-24 (Action Plan) के तहत 07.12.2023 से अगले मार्ग पर 3 फी. मी. के स्तर पर भारी वाहनों को रोकने के लिए ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। 1. कुराल टोल प्लाजा 2. सायान टोल प्लाजा 3. फतेहाबाद टोल प्लाजा
Electric/Hybrid Vehicles should be encouraged. New residential and commercial buildings to have charging facilities. Buses should be CNG or Electric.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	Government has given subsidy on electric vehicles as 1. Private 2 wheelers and 4 wheelers: Average subsidy on sale amount for 2 wheelers is 5000 and 4 wheelers is 1 lakh. Also these vehicles have been exempted from Road Tax. 2. Electric E-rickshaw and Auto if manufactured in 1 <sup>st</sup> Road Tax 1% to 2-3 years exempted. If manufactured outside UP two years exemption.
Make a time-bound plan for dipper penetration of electric vehicles (EVs), parallelly effort must be made for charging infrastructure including facilities for swapping the batteries. As a first step, two and three-wheeler should be considered for EVs.	The case of Uttar Pradesh and Agra administration	1 year	Transport Department - Government has rolled out new EV Policy in which vehicle purchased and Registered in Uttar Pradesh will be exempted from road tax.
Depot spaces should be rationalized to ensure more efficient utilization. Multi-modal, multi-use bus depots to be developed to provide high-class bus services and terminal experience to passengers. Should include well-equipped maintenance workshops. Charging stations shall be set-up.	Transport Department, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	RTD:- Related to City transport and U/PSRTC
Enforcement of bus lanes and keeping them free from obstruction and encroachment.	Agra Development Authority, Agra Municipal Corporation, Agra City Transport Services Pvt. Ltd	1 year	ADA :- Informed by letter number - 165/D/AE/AHRB-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.



<p>Strict action to stop unscientific disposal of hazardous waste in the surrounding area</p>	<p>Municipal council and UPPCB</p>	<p>1 year</p>	<p>In Area 29 industries are identified which generate hazardous waste during process. All units are disposing their hazardous waste through TSDF. Total quantity of hazardous waste is 64,039 MT (Landfillable is 50,219 MT, Incinerable is 0.8 MT and recyclable is 13 MT). Regular inspections is being carried out in industrial areas. No unscientific disposal of Hazardous Waste has been observed.</p>
<p>There should be separate Treatment, Storage, and Disposal Facilities (TSDFs) for hazardous waste.</p>	<p>Industrial Associations, U/PSIDC, Industries Department, UPPCB</p>	<p>2 years</p>	<p>As per the information -Dated 14.09.2023 by Factory owner's association, Nambal. There are no Hazardous Waste facilities in Industrial Estate, Nambal most of them are fixed under white &amp; green category. However as per PCB records orange &amp; red category industries are also operational in Industrial area, Nambal. Orange category industries are using Natural Gas &amp; Electricity, as fuel and does not generate Hazardous waste. Red category industries (electro plating units) has done agreement with TSDH for the disposal of Hazardous waste.</p>
<p>Industrial waste burning should be stopped immediately</p>	<p>Industrial Associations, U/PSIDC, UPPCB</p>	<p>Immediate</p>	<p>There are no such factories burning any industrial waste within Industrial Estate, Nambal. No information has been received, re: Industrial Waste burning in industrial areas.</p>
<p>Follow best practices to minimize fugitive emission with in the industry premises, all leakage within the industry should be controlled</p>	<p>Industrial Associations, U/PSIDC, UPPCB</p>	<p>Immediate</p>	<p>Yes all factories are strongly following best methods to control such emission and leakages. As per information UPPCB, All the polluting the industries are operational with Natural gas/electricity/Ethors are being made by industries to stop fugitive emission.</p>
<p>Area &amp; road in front of the industry should be the responsibility of the industry.</p>	<p></p>	<p></p>	<p>Yes all factories are well maintaining such area &amp; road.</p>
<p>Industries (Industion Furnace) Recommended Flame gas capturing hood followed by Baghouse should be used to control air pollution</p>	<p>Industrial Associations, UPPCB</p>	<p>2 years</p>	<p>Directions has been given to the Friendly Association to install flame gas capturing hood followed by bag house to control air pollution. As per information UPPCB, Flame hood along with APCs has been installed by industries.</p>









<p><b>Manota and other major Drains</b></p>	<p>water treatment plant of tertiary level and then only discharge in river Yamuna or perhaps recycled. This will remove the problems NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S and smell in the city and Taj Mahal area.</p>		<p>2-3years</p>	<p>N.N.- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Bio remediation/Physo remediation on 61 un tapped and 06 tapped drains is being done by M/s Sign Age India Pvt Ltd under the supervision of Nagar Nigam, Agra.</p> <p>At present 8 major drains of city i.e. (Manota Drain, Taj East Drain/Kohar Nala, Water Works Drain, Narainch Nala, Bhairo Nala, Nagla Baula Nala, Anurag Nagar Nala, Peelkhar Nala) are Partially tapped. Action is being taken by UP Jal Nigam for tapping of Partially tapped drains. Construction work of 31 mld STP, 35 mld STP &amp; 100 mld STP is under construction at 14 MLD STP Jagmipur, 10 MLD STP Peelkhar and 78 MLD STP Dhanthupura respectively.</p>
<p><b>Crematoriums</b></p>	<p>Electric or gas based crematorium should be installed</p>	<p>Municipal Corporation and Agra Development Authority</p>	<p>1-2years</p>	<p>ADA -Informed by letter number - 165/DAE/AIRK-II/2023-24 Dated 20.12.2023 Not Applicable.</p> <p>N.N.- Informed by letter number - Dated 27-12-2023 by Nagar Nigam, Agra. Electric crematorium has been installed at Mal ka Chabutra, Shaligunj area and inaugurated on 22 October 2023. It will be operated by Sotyarwad Raja Harishchandra Mohabhatam Jinnadhar Sanihi. At present electric based crematorium facility is available on two crematoriums (i) Tijgani crematorium (ii) Mal ka chabutra crematorium.</p>

\*The above steps should not only be implemented in Agra municipal limits rather these should be extended to up to at least 75 km beyond the Boundary. This will need support from the central government

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
आगरा।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर पुलिस आयुक्त (यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (ना०/आ०), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. सम्मानीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. उप निदेशक कृषि, आगरा।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
15. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
16. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आगरा-इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।
18. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
19. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

संख्या: 1831/04-633/23

दिनांक 06 नवम्बर, 2023

**विषय:—शीतकाल के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन अटेनमेंट नगरों के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रैस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के अनुरूप कार्ययोजना का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सहोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक 1270/ओजी-633/2022 दिनांक 23.09.2023 द्वारा शीतकाल में आगरा शहर के वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है। Graded Response Action Plan (GRAP) माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक लागू होने के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 30.09.2023 के द्वारा जनसामान्य हेतु प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है।

मौसम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे कम तापमान, अत्यधिक आर्द्रता, हवा की कम गति के अतिरिक्त, रोड डस्ट, निर्माण परियोजनाओं द्वारा सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016, सी०पी०सी०बी० गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मिटीगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल का अनुपालन न किये जाने, बाहनों से जनित प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट एवं कृषि अपशिष्ट को जलाया जाना वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं।



स०प०उ०

जिन पर सम्बन्धित विभागों द्वारा नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। वायु प्रदूषण सूचकांक (Air Quality Index-AQI) के अनुसार सम्बन्धित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरण/संस्थाओं द्वारा ग्रैप एक्शन प्लान के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Poor	201-300	<b>Poor-</b> When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate	101-200	<b>Moderate-</b> When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

अतः वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में सुनिश्चित किया जाये। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की डेली एक्शन टेकेन रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ई-मेल [roagra@uppcb.in](mailto:roagra@uppcb.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

संलग्नक:- यथोपरि।

  
06/11/23  
(मानु चंद्र गोस्वामी)  
जिलाधिकारी,  
आगरा

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदया, आगरा मण्डल, आगरा को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा Graded Response Action Plan (GRAP) की मानीटरिंग जिला पर्यावरण समिति की बैठक में कराना सुनिश्चित करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
06/11/23  
जिलाधिकारी,  
आगरा

९८



**क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

**भवन सं. 14, सैक्टर 3 वी, आवास विकास सिडनडा योजना, अमरा**

**Graded Response Action Plan (GRAP) लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना**

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 ट्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को वायु गुणवत्ता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित सर्वोपर एप पर देखा जा सकता है।

जन सामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी की जाती है।

**स्टेज-1, एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी मास्ट्रिट व खराब श्रेणी ( 101-300 के बीच ) होने पर** (1) सर्वोच्च सर्विंग को रोका जाये। (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी.यू.सी. सर्विफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें। (6) टी.टी. जेड क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का सफ़ाई निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलायें। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, छान नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त सड़कों की ब्लैक टॉपिंग की जाये। (11) बिल्डिंग निर्माण सामग्री छाने वाले वाहन कवरों को संचालित किये जाये। (12) वाहनों के आकस्मिक धुँये की जांच की जाये। (13) बिल्डिंग मैटेरियल पर जल छिड़काव व ढक्कर रखा जाये।

**स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-बहुत खराब श्रेणी ( 301-400 के बीच ) होने पर** (1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुने। (3) टी.टी. जेड क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) टोस अपशिष्ट और बायोमास को न जलायें। (6) धौराहों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये। (8) स्वांस सम्बन्धित मरीज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जाये। (11) ईट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

**स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी ( 401-500 के बीच ) होने पर** (1) श्रैटी दूरी के लिये पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (4) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित किया जाये। (5) टी.टी. जेड क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (6) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जाये। (7) स्वांस तथा प्रदूषण रोधी घर से बाहर न निकले।

**स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर प्लस श्रेणी ( 500 से अधिक ) होने पर** (1) बच्चे, बुजुर्ग और स्वसन, हृदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहें। (2) भारी वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएँ बन्द हो। (4) बिल्डिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जायें। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला  
दिनांक 30.09.2023



क्षेत्रीय कार्यालय, उपग्रह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

## Graded Response Action Plan (GRAP)

### लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को वायु गुणता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर एप पर देखा जा सकता है।

जन सामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी की जाती है।

**स्टेज-1 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी माइरेट व खराब श्रेणी (101-300 के बीच) होने पर**

(1) गार्बेज वर्मिंग को रोका जाये (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें। (6) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का सन्चित निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाये। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग बॉल, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त सड़कों की ब्लैक टॉपिंग की जाये। (11) बिल्डिंग निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहन कवर्ड कर संचालित किये जाये। (12) वाहनों के आकस्मिक धुएँ की जाँच की जाये। (13) बिल्डिंग मैटेरियल पर जल छिड़काव व ढककर रखा जाये।

**स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - बहुत खराब श्रेणी (301-400 के बीच) होने पर**

(1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुने। (3) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) ठोस अपशिष्ट और बायोमास को न जलाये। (6) चौकों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित की जाये। (8) श्वास सम्बन्धित मरीज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जाये। (11) ईट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

**स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (401-500 के बीच) होने पर**

(1) छोटी दूरी के लिये पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (3) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित किया जाये।

(4) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (5) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जाये। (6) श्वास तथा हृदय रोगी घर से बाहर न निकले।

**स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - गंभीर प्लस श्रेणी (500 से अधिक) होने पर**

(1) बच्चे, बुजुर्ग और रक्वसन, हृदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहें। (2) भारी वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएँ बन्द हो। (4) बिल्डिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जाये। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित की जाये।

- क्षेत्रीय अधिकारी



**क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

भवन सं. 14, सेक्टर 3 बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

**Graded Response Action Plan (GRAP) लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना**

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में पर्यावरणीय वायु की गुणवत्ता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 प्रोटोकॉल रिस्पांस एक्शन प्लान के अन्तर्गत जनसामान्य को वायु गुणवत्ता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर एप पर देखा जा सकता है।

जनसामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवार्सरी जारी की जाती है।

**स्टेज-1, एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी मास्ट्रीट व खराब श्रेणी ( 101-300 के बीच ) होने पर** (1) गाड़ों का रीनिंग को रोका जाये। (2) जेनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी.यू.सी. सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें। (6) टी.टी.जेड क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का समुचित निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने जेनरेटर-पेट्रोल वाहनों को न चलवायें। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड टर्किंग मशीन, सीम वेट का प्रयोग किया जाये। (10) कृतिप्रस्त सड़कों की ब्लैक टॉपिंग की जाये। (11) बिल्डिंग निर्माण समाप्त होने वाले वाहन फाई कर संचालित किये जाये। (12) वाहनों के आकस्मिक धुरे की जांच की जाये। (13) बिल्डिंग मैटेरियल पर जल छिड़काव व ढककर रखा जाये।

**स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-बहुत खराब श्रेणी ( 301-400 के बीच ) होने पर** (1) जेनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुनें। (3) टी.टी.जेड क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) टोस अपशिष्ट और बायोमास को न जलायें। (6) चौराहों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये। (8) स्टांस सम्बन्धित गरीब वाहन निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जाये। (11) ईट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

**स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी ( 401-500 के बीच ) होने पर** (1) जेटी दूरी के लिये पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (4) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित किया जाये। (5) टी.टी.जेड क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (6) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जाये। (7) स्टांस तथा प्रदूषण रोधी धर से बाहर न निकले।

**स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर एलस श्रेणी ( 500 से अधिक ) होने पर** (1) बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहें। (2) भारी वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनाएँ बन्द हो। (4) बिल्डिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जायें। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉग गन संचालित की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला  
दिनांक 30.09.2023



क्षेत्रीय कार्यालय, उपग्रह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3वीं, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा

## Graded Response Action Plan (GRAP) लागू होने के सम्बन्ध में अति आवश्यक सूचना

आगरा शहर में आगामी शीत ऋतु में परिवेशीय वायु की गुणता में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु माह अक्टूबर, 2023 से माह फरवरी, 2024 तक Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया जा रहा है। Graded Response Action Plan (GRAP) को Air Quality Index (AQI) के आधार पर 04 स्टेज में विभाजित किया गया है। स्टेज-1, स्टेज-2, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 प्रोटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जन सामान्य को वायु गुणता के प्रभावित होने के दृष्टिगत निम्न स्तरों के अनुसार सहभागिता की अपेक्षा की जाती है। दैनिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित समीर एप पर देखा जा सकता है।

जन सामान्य को आगामी शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से बचाव हेतु निम्न उपायों को किये जाने हेतु एडवाइजरी जारी की जाती है।

**स्टेज-1 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी माईरेट व खराब श्रेणी (101-300 के बीच) होने पर**

(1) गार्बेज बर्निंग को रोका जाये (2) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (3) अपने वाहनों के पी०यू०सी० सर्टिफिकेट अपडेट रखें। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें। (6) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (7) रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव कर किया जाये एवं रोड डस्ट का सम्बन्धित निस्तारण किया जाये। (8) 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों को न चलाये। (9) निर्माण परियोजनाओं पर जल छिड़काव, एन्टी स्मॉग गन, विन्ड ब्रेकिंग वॉल, ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाये। (10) क्षतिग्रस्त सड़कों की बलैक टॉपिंग की जाये। (11) बिल्डिंग निर्माण सामग्री खोने वाले वाहन कवर्ड कर संचालित किये जाये। (12) वाहनों के आकास्मिक धुएँ की जाँच की जाये। (13) बिल्डिंग मैटेरियल पर जल छिड़काव व ढककर रखा जाये।

**स्टेज-2 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - बहुत खराब श्रेणी (301-400 के बीच) होने पर**

(1) डीजल जनरेटर का प्रयोग कम किया जाये। (2) कम भीड़भाड़ वाला मार्ग चुने। (3) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न किया जाये। (4) सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। (5) ठोस अपशिष्ट और बायोमास को न जलाये। (6) चौकों पर ट्रैफिक कंजेशन को रोका जाये। (7) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग व जल छिड़काव की आवृत्ति बढ़ायी जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित की जाये। (8) स्वांस सम्बन्धित मरीज बाहर निकलने से परहेज करें। (9) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये। (10) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किये जायें। (11) ईट भट्टों का संचालन बन्द रखा जाये।

**स्टेज-3 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी-गंभीर श्रेणी (401-500 के बीच) होने पर**

(1) छोटी दूरी के लिये पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें। (2) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (3) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं कारपूलिंग का उपयोग करें। (3) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित किया जाये।

(4) टी०टी०जेड० क्षेत्र में प्रतिबन्धित ईंधन कोयला, लकड़ी आदि का उपयोग न करें। (5) निर्माण परियोजना कार्य बन्द किया जायें। (6) स्वांस तथा हृदय रोगी घर से बाहर न निकले।

**स्टेज-4 एम्बिएण्ट एयर क्वालिटी - गंभीर प्लस श्रेणी (500 से अधिक) होने पर**

(1) बच्चे, बुजुर्ग और इलासन, हृदय एवं फेफड़े से सम्बन्धित या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचे और जितना सम्भव हो घर के अन्दर रहें। (2) भारी वाहन नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश न करें। (3) सभी निर्माण परियोजनायें बन्द हो। (4) बिल्डिंग निर्माण सामग्री की धुलाई बन्द हो। (5) विद्यालय बन्द किये जाये। (6) जल छिड़काव कर रोड डस्ट स्वीपिंग, जल छिड़काव किये जाने की आवृत्ति बढ़ायी जाये। (7) सड़क के किनारे पेड़ों की धुलाई की जाये तथा एन्टी स्मॉगगन संचालित की जाये।

- क्षेत्रीय अधिकारी

# 445 कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या : 1122/06-633/22

दिनांक : 02/11/2022

## कार्यालय-आदेश

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-एन.जी.टी.-341/81-7-2022 दिनांक 28.09.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी अनुपालन हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) 01 अक्टूबर, 2022 से ए०क्व०आई० का स्तर 200 से अधिक होने पर लागू है, जिसका अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये। शीत ऋतु में सम्भावित बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

क्र० सं०	अनुपालनीय कार्यवाही के बिन्दु	उत्तरदायी विभाग
1-	1. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/गारबेज बर्निंग/वेस्ट लेदर कटिंग की बर्निंग आदि न होना सुनिश्चित किया जाना। नगर निगम द्वारा लेदर कटिंग से संबंधित कूड़े का शत-प्रतिशत कलेक्शन व निस्तारण सुनिश्चित किया जाये जिससे लेदर कटिंग के जलाने की संभावना ही न रहे। 2. आगरा शहर में खुले में निर्माण सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्री का भण्डारण विक्रेताओं द्वारा सड़क से 10 मी० की दूरी के उपरान्त ही किया जाये। 3. आगरा शहर के मार्गों से रोड डस्ट को हटाया जाये। 4. आगरा शहर के मुख्य मार्गों की रोड डस्ट को मैकेनिकल स्वीपिंग द्वारा साफ कराया जाना सुनिश्चित किया जाना तथा अन्य छोटे मार्गों एवं गलियों में पानी का छिड़काव कर मैनुअल स्वीपिंग करायी जाये एवं एकत्रित रोड डस्ट/कूड़े को झाड़ू से न हटाकर यथासंभव हाथों से उठाकर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। 5. आगरा शहर के मुख्य मार्गों पर एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से सड़कों व पेड़ों की धुलाई सुनिश्चित कराया जाये।	आगरा नगर निगम
2-	6. नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित मार्गों के किनारे रोड डस्ट से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 15 दिन के अन्दर तीन सबसे अधिक रोड डस्ट वाले मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	नगर निगम/ आगरा विकास प्राधिकरण/ लोक निर्माण विभाग/
3-	7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा-फरीदाबाद खण्ड एवं आगरा-इटावा खण्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०-19 की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में सड़क व पेड़ों की धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
4-	8. उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा आगरा शहर में विकसित की जा रही आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन कार्यस्थलों जैसे-मेट्रो डिपो, कार्टिंग यार्ड, कट एण्ड कवर एरिया, रामलीला ग्राउण्ड, आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन, आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन, राजा की मण्डी मेट्रो स्टेशन, आर.बी.एस. कॉलेज मेट्रो स्टेशन, मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आदि पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 एवं सी.पी.सी. बी.गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मेटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
5-	9. आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इनर रिंग रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में इनर रिंग रोड की (रैलिंग सहित) धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	आगरा विकास प्राधिकरण
	10. आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत किये गये/किये जाने वाले मानचित्रों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा विशेष रूप से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-21/2014 (वर्धमान कौशिक बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 10.04.2015 को पारित आदेश में उल्लिखित निर्देशों जैसे-निर्माणाधीन भवन के घास और तारपॉलीन लगाना, सड़क के किनारे निर्माण सामग्री एकत्रित न करना, धूल से बचाव के लिये छिड़काव/धुलाई आदि कराना, विण्ड ब्रेकिंग वॉल बनाना आदि का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही निर्माण स्थल पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन	

	हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट-2017 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	
6-	<p>11. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण स्थल पर इस प्रकार वाटर स्प्रिंकलिंग सुनिश्चित कराया जाये, जिससे कि निर्माण स्थल पर धूल मिट्टी सदैव गीली रहे तथा किसी भी समय धूल न उड़े। दिन में मात्र दो-तीन बार छिड़काव कराकर कार्य की इतिश्री न की जाये। साथ में सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मैटेरियल मैजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट-2017 के अनुपालन के साथ निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाये-</p> <p>(i) Construction material should be covered by a sheet made of either jute tarpaulin, plastic or any other effective material.</p> <p>(ii) Trucks/lorries should not be over loaded to avoid overflow of material (C&amp;D wastes/construction material) during transportation.</p> <p>(iii) The unloading activities of construction material at site/off site to ensure the dispersal of dust borne particles are minimized by either location of dumpsite or using water sprinklers or covered by a sheet made of either jute, tarpaulin, plastic or any other effective material.</p> <p>(iv) All areas for storing C&amp;D wastes / construction material to be demarcated and preferably barricaded particularly those materials that have potential to be dust borne.</p> <p>(v) Dry sweeping of work areas to be prohibited.</p> <p>(vi) Smooth movement of incoming &amp; out going vehicles / trucks.</p> <p>(vii) Wind breaking walls around construction site.</p>	समस्त कार्यदायी संस्था
7-	<p>12. आगरा शहर के अन्दर मुख्य मार्गों एवं व्यवसायिक क्षेत्र के मार्गों में वाहनों के जाम की स्थिति एवं अतिक्रमण पर नियंत्रण किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाये एवं सतत निगरानी/अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।</p> <p>13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया जाये, जिसके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स (ए0क्यू0आई0) अधिक होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>14. आर0टी0ओ0 एवं यातायात पुलिस द्वारा आगरा शहर में 15 वर्ष पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।</p> <p>15. आगरा शहर में संचालित वाहनों का पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट चैक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p> <p>16. सभी निर्माण सामग्री एवं मलबे को पूर्णरूप से डक कर ही ट्रक/वाहनों से परिवहन किया जाये जिससे कि निर्माण सामग्री का मलबा किसी भी रूप में वातावरण में विसरण न करे।</p> <p>17. निर्माण सामग्री एवं किसी भी प्रकार के मलबे को परिवहन करने वाले वाहनों को सामग्री उतारने के पश्चात पूर्ण रूप से साफ कर ही सड़क पर चलने की अनुमति दी जाये।</p> <p>18. आगरा शहर के अन्दर निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों/भारी वाहनों को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रवेश निषेध का अनुश्रवण पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>19. आर0टी0ओ0 द्वारा आगरा शहर में संचालित पी0यू0सी0 सेन्टर्स का नियमित अनुश्रवण किया जाये।</p>	पुलिस अधीक्षक (यातायात)/ आर0टी0ओ0
8-	<p>20. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया जाये एवं अवैध वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का विद्युत/जल संयोजन जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के सहयोग से विच्छेदित कराया जाये।</p> <p>21. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन कराया जाये।</p> <p>22. औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत निगरानी की जाये। गैर अनुमन्य ईंधन का उपयोग पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p>	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
9-	23. जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा कोल/कोक/लकड़ी/लैटर कटिंग का	जिलाधिकारी/

	<p>पेठा इकाईयों में प्रयोग न होने के साथ-साथ कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।</p> <p>24. शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट एवं ड्राबों पर कोयले के स्थान पर गैस लन्दूर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाये।</p> <p>25. रेजीडेन्ट वेलफेयर ऐसोसियेशन द्वारा कालोनी के सुरक्षा कर्मियों को हीटर उपलब्ध कराया जाये। किसी भी दशा में शीलकाल में अलाव का प्रयोग न किया जाये।</p>	अपर जिलाधिकारी (नगर)
10-	26. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा आगरा में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/ टोरण्ट पॉवर लि०
11-	27. नगर में संचालित ई-बस सेवा एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसें निर्धारित स्टॉपेज के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर न रोकी जायें।	परिवहन निगम/ आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने मोबाईल पर आगरा शहर के एयर क्वालिटी इण्डेक्स की मानीटरिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप (Sameer App) को डाउनलोड किया जाये एवं उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स में वृद्धि परिलक्षित हो, उस क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कृत अनुपालनीय कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उनके ई-मेल [roagra@uppcb.in](mailto:roagra@uppcb.in) पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी। आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा हेल्प लाइन नं०-0562-2551600 सुचारु रूप से संचालित किया जाये, जिस पर जनसामान्य द्वारा उपरोक्त कारणों से ए०क्यू०आई० में वृद्धि होने पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी।

  
(अमित गुप्ता)  
मण्डलायुक्त।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम/आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०, आगरा।
9. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।
11. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
13. प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
14. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्र०, आगरा/फरीदाबाद।
15. निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि०, आगरा।
16. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
17. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
18. प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र००नि०बी०, आगरा।
20. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, आगरा।
21. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरण्ट पॉवर लि०, आगरा।

  
(अमित गुप्ता)  
मण्डलायुक्त।

	पेठा इकाईयों में प्रयोग न होने के साथ-साथ कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। 24. शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों पर कोयले के स्थान पर गैस तन्दूर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाये। 25. रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा कालोनी के सुरक्षा कर्मियों को हीटर उपलब्ध कराया जाये। किसी भी दशा में शीतकाल में अलाव का प्रयोग न किया जाये।	अपर जिलाधिकारी (नगर)
10-	26. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा आगरा में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/ टोरण्ट पॉवर लि०
11-	27. नगर में संचालित ई-बस सेवा एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसे निर्धारित स्टॉपेज के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर न रोकी जायें।	परिवहन निगम/ आगरा-मधुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने मोबाईल पर आगरा शहर के एयर क्वालिटी इण्डेक्स की मानीटरिंग हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप (Sameer App) को डाउनलोड किया जाये एवं उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स में वृद्धि परिलक्षित हो, उस क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कृत अनुपालनीय कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उनके ई-मेल [roagra@uppcb.in](mailto:roagra@uppcb.in) पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी। आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा हेल्प लाइन नं०-0562-2551600 सुचारु रूप से संचालित किया जाये, जिस पर जनसामान्य द्वारा उपरोक्त कारणों से ए०क्यू०आई० में वृद्धि होने पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी।

  
(अमित गुप्ता)  
मण्डलायुक्त।

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम/आगरा-मधुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०, आगरा।
9. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आगरा।
11. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
13. प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
14. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्र०, आगरा/फरीदाबाद।
15. निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि०, आगरा।
16. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
17. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा।
18. प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा।
20. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, आगरा।
21. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरण्ट पॉवर लि०, आगरा।

  
(अमित गुप्ता)  
मण्डलायुक्त।

वायु प्रदूषण सूचकांक (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	<b>Poor-</b> When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . <b>Moderate-</b> When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनिटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु 'Comprehensive' Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन आगामी शीतकाल में किया जाना अति-आवश्यक है। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

अपर मुख्य सचिव महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी' (AQMC) की बैठक दिनांक 30.11.2021 में भी नॉन-अटेंमेन्ट नगरों में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के प्रभावी कार्यान्वयन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(डा० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकनार्थ सादर निवेदित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(डा० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 926/ओजी-633/2021

दिनांक - 01/11/2021

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
7. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
11. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
13. जिला खान अधिकारी, आगरा।
14. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
15. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
16. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
17. उप निदेशक कृषि, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
20. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा०लि०, आगरा।
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
22. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
23. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
24. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

**विषय:- उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये Comprehensive Action Plan (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी के पत्रांक 880/ओजी-633/2021 दिनांक 21.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के अन्तर्गत वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार स्वतः कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आप अवगत हैं कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेन्ट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया जिसमें आगरा भी चिन्हित है। सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/सीएल/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7) के पत्रांक एच67028/सी-1/Grp/2021 दिनांक 12.10.2021 (जयाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा स्थिति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ की जानी है।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	<b>Poor-</b> When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . <b>Moderate-</b> When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .


केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनीटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल [www.ucecp.in](http://www.ucecp.in) पर प्रेषित करें। Severe श्रेणी के रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह तथा Severe + श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना प्रेषित करें। किसी भी समस्या के निवारण के लिये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तैनात जे०आर०एफ कु० अंशिका यादव मोबाइल नं०-7839891399 एवं NCAP-Consultant श्री आदित्य चतुर्वेदी मोबाइल नं०-9199130284 से संपर्क किया जा सकता है।


संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

  
(डॉ० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य-सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
5. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/नोडल अधिकारी, Comprehensive Action Plan (CAP) को इस अनुरोध के साथ कि Air Quality Index(AQI) के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

  
(डॉ० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

452  
कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा

संख्या: 880/04-633/21

दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषय:—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये Comprehensive Action Plan (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्ध्र विद्युत वितरण निगम, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
4. पुलिस अधीक्षक(यातायात), आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
11. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
12. जिला खान अधिकारी, आगरा।
13. जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
15. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
16. उप निदेशक कृषि, आगरा।
17. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
18. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/इटावा खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
19. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ0प्र0 मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा0लि0, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
22. अधिराशी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
23. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि0, आगरा।
24. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

महोदय,

प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेंट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया है। एक्शन प्लान की छाया प्रति संलग्न है। अद्वैतर सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/सीएल/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7) के पत्रांक एच67028/सी-1/Grap/2021 दिनांक 12.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा स्थिति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कृ०प०उ०

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	<b>Poor-</b> When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . <b>Moderate-</b> When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसकी मॉनीटरिंग मोबाइल पर डाउनलोड कर देखी जा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है। सम्बन्धित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये वेब पोर्टल [www.uptecp.in](http://www.uptecp.in) पर प्रेषित करें। Severe श्रेणी के रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह तथा Severe + श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना प्रेषित करें। अंकित किये जाने हेतु समस्या के निवारण के लिये उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तैनात जे०आर०एफ कु० अशिका यादव मोबाइल नं०-7839891399 एवं NCAP-Consultant श्री आदित्य चतुर्वेदी मोबाइल नं०-9199130284 से संपर्क किया जा सकता है।

अतः AQI के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

(प्रमु एन० सिंह)  
जिलाधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
3. पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, आगरा/नोडल अधिकारी, Comprehensive Action Plan (CAP) को इस निर्देश के साथ कि Air Quality Index(AQI) के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक - 859 / ओजी-633 / 2021

दिनांक - 13 / 10 / 2021

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. पुलिस अधीक्षक, यातायात, आगरा।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
6. महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, वाटर वर्क्स कासिंग, जीवनी मण्डी रोड, आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा संभाग, आगरा।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (फरीदाबाद-आगरा खण्ड)।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाई-वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (आगरा-इटावा खण्ड)।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उ०प्र० मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा० लि०, आगरा।

विषय:- आगामी शीतकाल एवं त्यौहारों के दृष्टिगत वायु प्रदूषण में सम्भावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु प्रस्तावित योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शीतकाल के दौरान त्यौहारों का दबाव, मौसम सम्बन्धित परिस्थितियों जैसे- कम तापमान, अत्याधिक आर्द्रता, हवा के कम बहाव आदि के कारण वायुगुणता में अत्याधिक गिरावट हो जाती है। सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के बापू भवन स्थित कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये योजना तैयार किये जाने सम्बन्धी विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गयी तथा सम्बन्धक विचारोपरान्त शीतकाल की समयावधि में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में माह-नवम्बर, 2021 से फरवरी 2022 की अवधि में वायु प्रदूषण की वृद्धि न हो के दृष्टिगत कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत वायु प्रदूषण हेतु विभिन्न कारकों यथा रोड डस्ट, वाहन, औद्योगिक ईकाईयों, यातायात व्यवस्था इत्यादि के सम्बन्ध में पृथक-2 कार्यविन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। कार्यवाही का विवरण प्राप्त किये जाने हेतु प्रारूप भी निर्धारित किये गये हैं (प्रारूप की प्रति पत्र के साथ संलग्न है)। कार्यवाही का सघन अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित जनपद में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संलग्न प्रारूप के अनुसार दिनांक 16.10.2021 तक सूचनायें हाई कॉपी एवं ई-मेल (www.roagra@uppcb.in) के माध्यम से भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा० विश्वनाथ शर्मा)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1/7), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

# कार्यालय 455 लाधिकारी, आगरा

संख्या: 2467/06-633/20

दिनांक 21 नवम्बर, 2020

विषय:- Direction under Section 31 (A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for deterioration in Air Quality in Non Attainment Cities (NACs) of Uttar Pradesh other than cities of NCR.

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. उप आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद, आगरा।
7. मुख्य धिकित्साधिकारी, आगरा।
8. प्रोजेक्ट डायरेक्टर(आगरा/फरीदाबाद खण्ड), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
11. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. उप निदेशक कृषि, आगरा।
15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
17. जिला अग्नि शमन अधिकारी, आगरा।
18. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत सुरक्षा, आगरा।
19. जिला खान अधिकारी, आगरा।
20. महाप्रबन्धक, टोरेण्ट पावर लि०, आगरा।
21. समस्त आवास कल्याण संघ (RWA) द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आगरा।

कृपया प्रदेश में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत नान-अटेनमेंट सिटी के रूप में चिन्हित जनपदों में Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/ Graded Response Action Plan (GRAP) लागू किया गया है। एक्शन प्लान की छाया प्रति संलग्न है। अग्रेतर सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच54952/सीएल/2948/एक्शन प्लान/2019-20 दिनांक 13.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा GRAP में वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) के अनुसार संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं द्वारा प्रदूषण के स्तर-AQI के (48 घण्टे तक यथा स्थिति होने पर) अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्काल प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वायु प्रदूषण के स्तर (Air Quality Index-AQI) का विवरण निम्नवत् है:-

Category	Air Quality Index-AQI	Level of PM <sub>2.5</sub> or PM <sub>10</sub> concentration
Severe+ or Emergency	More than 500	When PM <sub>2.5</sub> Level cross 300 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> level cross 500 µg/m <sup>3</sup> persist for 48 hours or more.
Severe	401-500	When PM <sub>2.5</sub> Level are above 200µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are above 430 µg/m <sup>3</sup> .
Very Poor	301-400	When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 121-250µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 351-430 µg/m <sup>3</sup> .
Moderate to Poor	201-300 101-200	<b>Poor-</b> When PM <sub>2.5</sub> Levels are between 91-120 µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> levels are between 251-350 µg/m <sup>3</sup> . <b>Moderate-</b> When PM <sub>2.5</sub> is between 61-90µg/m <sup>3</sup> or PM <sub>10</sub> is between 101-250 µg/m <sup>3</sup> .

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये SAMEER APP पर जनपद आगरा का Air Quality Index(AQI) उपलब्ध है, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है।

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित आगरा के वायु गुणता सूचकांक (AQI) में भी वृद्धि हो रही है। वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) का प्रभावी क्रियान्वयन वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः AQI के अनुसार Comprehensive Action Plan (CAP)/Graded Response Action Plan (GRAP) में दिये गये एक्शन बिन्दुओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

J. P. Mishra  
जिलाधिकारी  
आगरा।

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य-सचिव, UOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

J. P. Mishra  
जिलाधिकारी  
आगरा।  
PI

**Details of Environmental Compensation imposed by UPPCB**

S.No.	Name & Add of Industry	Environmental Compensation Imposed (In Rs.)	Date of letter issued	Category (Industry/Local Body/STP/CETP/CBWF/CMSWDF/Drains)	Status of EC payment	Remark
1	M/s Prime Plaza Hotel, C-1/C-2, Tuj Nagar, Phase-II, Fatehabad Road, Agra	50000	06.08.2018	Hotel	50000	Paid
2	M/s Hotel Grand Imperial, 32/10A, Opp. D.M. Compound, M.G. Road, Agra	50000	06.08.2018	Hotel	50000	Paid
3	Yamuna Pollution Control Unit, (U.P. Jal Nigam), Agra 10 MLD, S.T.P. Peelkhar, Agra	787500	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C Issued through District Administration
4	Yamuna Pollution Control Unit, (U.P. Jal Nigam), Agra 7.25 MLD, S.T.P. Budi Ka Nagla, Agra	590625	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C Issued through District Administration
5	Yamuna Pollution Control Unit, (U.P. Jal Nigam), Agra 12 MLD, S.T.P. Bhim Nagari Deori Road, Agra	196875	18.07.2019	S.T.P.	0	R.C Issued through District Administration
6	Project Director, NHAI, Faridabad/Agra	68437500	24.10.2019	Construction	68437500	Paid
7	M/s Hotel De-lux Int. M.G. Tower, Bansal Nagar, Fatehabad Road, Agra	117187.5	09.09.2021	Hotel	117187.5	Paid
8	Agra Smart City, Agra	3112500	29.07.2021	Construction	3112500	Paid
10	Metro Rail Corporation Ltd Agra	2925000	22.11.2022	Metro Rail	0	R.C Issued through District Administration
11	GANGA JAL, U.P JAL NIGAM (Nagriya), Agra	3750000	27.12.2022	Construction	0	R.C Issued through District Administration
12	Nalanda Town Shamsabad Road, Agra	21398438	10.05.2022	Township	0	R.C Issued through District Administration
13	U.P JAL NIGAM (Nagriya), Agra	600000	12.07.2023	Construction	0	R.C Issued through District Administration
14	North Central Railway Goods shed, Kuberpur, Agra	7150000	12.07.2023	Railway	0	R.C Issued through District Administration

15	Unit 35, C & DS, U.P. Jai Nigam (NAGRIVA), Aggra (4.5 MLD, S.T.P.) Kalindi Vihar, Aggra	175000	22.09.2023	STP		R.C Issued through District Administration
16	Unit 35, C & DS, U.P. Jai Nigam (NAGRIVA), Aggra 36 MLD, S.T.P. Sadarvan Bichpuri, Aggra	175000	22.09.2023	STP		R.C Issued through District Administration

1084  
R.O



आगरा नगर निगम  
AGRA MUNICIPAL CORPORATION



Ph.No. : 0562850670/2520616  
FAX No.: 0562-2850499  
E-mail : amcagra@yahoo.com  
uncagra1@gmail.com

प्रेषक,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम आगरा।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
आगरा।

पत्रांक:- 421/D/V-W-0/2023

दिनांक:- 15/12/2023


विषय:- आगरा शहर में ककरैठा बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या पी0एन0यू0/6399/425(12-1)/2000-21, दिनांक 23.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का करें, जिसमें निदेशक महोदय द्वारा आगरा शहर में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस कार्य में दक्ष Professor C-R- Baba, Professor Emeritus, CEMDE, University of Delhi व उनकी टीम से सहयोग प्राप्त करते हुये आगरा शहर में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु घनांक रू0-2602.57 लाख की डी0पी0आर0 तैयार कर एतद् पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि उक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति सक्षम स्तर से कराये जाने का कष्ट करें। साथ ही अवगत कराना है कि जिस भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है, वह वन विभाग की संरक्षित भूमि है। जिस पर बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किये जाने हेतु सक्षम स्तर से एम0ओ0यू0 भी संपादित कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



नगर आयुक्त  
नगर निगम आगरा।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर  
अवलोकनार्थ।

नगर आयुक्त  
नगर निगम आगरा

मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में सम्पन्न "जिला पर्यावरण सभिति, जिला वृक्षारोपण एवं जिला गंगा सुरक्षा सभिति" की बैठक दिनांक 27.12.2022 का कार्यवृत्त।

क्र० सं०	कार्यवाही विन्दु	वस्तुस्थिति / निर्देश	अभ्युक्ति / कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
	<p>जिला पर्यावरण सभिति एवं जिला वृक्षारोपण सभिति एवं जिला गंगा सुरक्षा सभिति की गत बैठक दिनांक 15.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिसर्वा।</p>	<p>सभिति द्वारा विवरणी बैठक दिनांक 15.11.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।</p>	<p>प्रमानीय निदेशक, साठवाड प्रभाग आगरा</p>
1	<p>बाग्य प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की रणनीति-एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कर्मचारी की बैठक दिनांक 28.06.2021 में अथवा मुख्य सचिव, SOAओ शासन द्वारा आगरा शहर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।</p>	<p>जिला पर्यावरण सभिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ</p>	<p>बाग्य प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है।</p>
<p>(व) बाग्य प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही के लिए "श्री अर्थोसोफोको को सती शिवाजी के सम्बन्ध में प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा आगरा शहर में बाग्यकारी की गई और सम्बन्धित विभागों को देय के सम्बन्ध में 28.06.2023 तक डेली एक्शन रिपोर्ट देजाने के निर्देश दिए तथा आगरा शहर में बाग्य प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही के क्रियान्वयन किये जाने एवं ग्रैड (Graded Response Action Plan) के सम्बन्ध में केवल आगरा मंडल एवं नगर निगम द्वारा डेली एक्शन रिपोर्ट दे-देज के माध्यम से कार्यवाही को उपलब्ध कराई जा रही है। निम्न संकलित कल बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा आगरा शहर में बाग्यकारी की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही- क्षेत्रीय अधिकारी- 1- पुलिस अधीक्षक यातायात आगरा 2- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, 3- सम्बन्धित विभाग</p>
<p>(घ) अर्थोसोफोको शानपुर द्वारा विभिन्न प्रदूषण के लिए "श्री अर्थोसोफोको को सती शिवाजी के सम्बन्ध में प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा आगरा शहर में बाग्यकारी की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के प्रतिनिधि द्वारा आगरा शहर में बाग्यकारी की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही- क्षेत्रीय अधिकारी- 1- पुलिस अधीक्षक यातायात आगरा 2- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, 3- सम्बन्धित विभाग</p>

<p>City Agra में विद्यमान Control Options एवं Action Plan के अनुपालन के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित की गयी। ये सब सम्बन्धित नियम से पूर्णता प्राप्त है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>(iv) आगरा के अधिकाधिक न सिर्फ 500 टन प्रति वर्ष के कारखाने से अपितु प्रदूषण की संख्याएं बहुत ही कम की गई हैं।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा के प्रतिनिधि द्वारा आगरा के कारखानों को 500 टन प्रति वर्ष के कारखाने से अधिक न होने के लिए निर्देशित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा अज्ञात कारखानों का भी सर्वेक्षण किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा अज्ञात कारखानों का भी सर्वेक्षण किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा अज्ञात कारखानों का भी सर्वेक्षण किया गया है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>2. नया राष्ट्रीय शक्ति अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा 2000 संसद-600/2010 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 के प्रति अर्द्ध-विवरण 12.10.2018 के अनुसार कराये गये के सम्बन्ध में।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा के प्रतिनिधि द्वारा अज्ञात कारखानों को 500 टन प्रति वर्ष के कारखाने से अधिक न होने के लिए निर्देशित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा अज्ञात कारखानों का भी सर्वेक्षण किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा द्वारा अज्ञात कारखानों का भी सर्वेक्षण किया गया है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, 2000 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>





1. जो व्यक्ति मूल योजना से अनुपस्थित रहते हैं कार्यों के प्रति की समीक्षा

जिला प्राण सुका

की से सम्बन्धित कार्यवाही के क्रम दिनांक 27.12.2022

<p>2. प्रत्येक ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर निगम में ग्राम प्राण समिति / नगर प्राण समिति गठित कर सूचना प्रस्तुत किया जाना</p>	<p>ग्रामीण विदेशक सामाजिक कार्यवाही प्रमाण, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए कि आगे के सभी विद्युत आ संचालन वाले कार्यों की सभी विभाग अपनी कार्यवाही प्रस्तुत करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यमुना नदी के किनारे नगरी प्राणों में संघटित विभागीय कार्यों का निरक्षण उपलब्ध कराये।</li> <li>जिला पंचायत राज अधिकारी / नगर निगम सचिवता एवं मंद भाली को म्यूना में जाने से रोकने हेतु विद्युत आ संचालन का निरक्षण उपलब्ध कराये।</li> <li>मूला विकास अधिकारी आगरा द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देश दिए गए कि यमुना के किनारे अग्रिमिटे में से परमिटिज को अलग करके खाद बनाने की कार्यवाही बनाए और उसे आरती डेपूज से पहले उपलब्ध कराये।</li> <li>ग्रामीण विदेशक, संचालन प्रमाण, आगरा द्वारा नगरी प्राणों के अनुपस्थित एवं बनाये हेतु कार्यवाहीना एवं नगर निगम शाली क्षेत्र में प्राणों के संशुद्धीकरण एवं आरती सुधार की व्यवस्था हेतु कार्यवाहीना उपलब्ध कराये जिसे कि शासन द्वारा परमिटिज की जाएगी।</li> <li>ग्रामीण विदेशक, संचालन प्रमाण, आगरा द्वारा जनवरी 2023 में यमुना संस्करण के दिने जागरूकता कार्यक्रम कराये जाने हेतु संचालनों का निर्देशकरण कर कार्यवाहीना तैयार की गई है जिसके अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यक्रम सम्पन्नित कराये जायेंगे। कार्यवाहीना का मूला विकास अधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया एवं उसके द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी एवं सम्बन्धित विभागों को उसका कार्यवाही को सफल बनाने के लिए निर्देश दिने गये।</li> <li>श्री रमज की, परावरन्धीर, द्वारा यमुना के किनारे स्थिति राज वन स्थीक तथा कार्बेन वन क्षेत्र में डीपरीमिशन प्राप्त की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिने गये।</li> </ul>	<p>कार्यवाही- 1. वन विभाग 2. नगर निगम आगरा 3. उद्यान विभाग 4. कृषि विभाग 5. पर्यायी राज विभाग 6. जिला सीएम, रीवा अनुपस्थित 7. केएम प्रभा डेपू, आगरा</p>
<p>कार्यवाही- पंचायती राज विभाग</p>	<p>ग्रामीण विदेशक सामाजिक कार्यवाही प्रमाण, आगरा द्वारा अनुपस्थित बताया गया कि प्राण प्राण समिति का गठन पंचायती राज विभाग द्वारा कर दिया गया है जिसकी सूचना उनके द्वारा ग्रामीण विदेशक, आगरा को कार्यवाही को प्रेषित कर दी गई है। आगरा जनपद की 27 ग्राम पंचायतों में प्राण प्राण समिति का गठन किया गया है जिसमें 13 यमुना नदी, 07 परम्बा नदी व 07 उदयना नदी के किनारे है।</p>	

(कार्यवाही सुचारु)  
ग्रामीण विदेशक  
सामाजिक कार्यवाही प्रमाण, आगरा।

मूला विकास अधिकारी  
आगरा  
28.12.22  
19.01.23

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 36-94 / 29-1 आगरा, दिनांक,

9 Jan, 2023.

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. टी0आर0एम0 रेलवे, आगरा कैंट।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) आगरा (नोडल नगर निकाय)
6. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) आगरा (नोडल राजस्व)
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।
8. उप श्रमायुक्त, आगरा।
9. उपायुक्त (श्रम रोजगार), संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगरा।
10. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, आगरा
11. जिला उद्यान अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रधानाचार्य, राजकीय चर्न संस्थान, आगरा)
15. उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
16. सी0ई0ओ0 छावनी बोर्ड, आगरा
17. अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
18. आर0एम0 रोडवेज, आगरा
19. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य संपु निगम लि0, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. जिला पंचायतराज अधिकारी, आगरा
22. उप निदेशक कृषि, आगरा।
23. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
24. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
25. मुख्य अनियन्ता जल निगम आगरा (ग्रामीण एवं शहरी)।
26. अधिशासी अनियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
27. अधिशासी अनियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा
28. सहायक अनियन्ता, लघु सिंचाई, आगरा।
29. अधिशासी अनियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, उ0प्र0 पावर कार्पो0 लि0 आगरा।
30. जिला मत्स्य अधिकारी, आगरा।
31. रेशम विकास अधिकारी, आगरा।
32. पुलिस अधीक्षक यातायात, आगरा
33. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा
34. संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास, आगरा।
35. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, आगरा
37. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, आगरा।
38. जिला खान अधिकारी, आगरा।
39. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा।
40. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा।
41. महाप्रबन्धक टॉरंट पॉवर लि0, आगरा।
42. महाप्रबन्धक गैल गैस लि0, आगरा।
43. महाप्रबन्धक ड्रीन गैस लि0, आगरा।
44. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, आगरा।

45. सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा।
46. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० आगरा।
47. पर्यावरण सेल, लघु भारती उद्योग, आगरा।
48. कार्यकारी अधिकारी, जे०आर०आर० मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, दयालबाग, आगरा।
49. प्रधानाचार्या, एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।
50. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा।
51. जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा।
52. जिला युवा कल्याण अधिकारी, आगरा।
53. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, आगरा।
54. सचिव, आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन, आगरा।
55. सचिव, स्पीहा, आगरा।
56. श्री जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
57. परियोजना निदेशक, इंजीनियरिंग एवं ग्रामीण पेयजल विभाग, आगरा।
58. परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, आगरा।
59. अवीक्षण अभियन्ता, सिंघाई विभाग, आगरा।
60. श्री विश्वजीत सिंह निवासी मोडल्ला ठाकुरान, एत्मादपुर, आगरा।
61. श्री दीपक दल निवासी कमला नगर, आगरा।

विषय - जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति व जिला गंगा समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27.12.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या-2-2019-44 (रिट)/2018 लखनऊ दिनांक 14.06.2019 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति व जिला गंगा समिति की बैठक दि० 27.12.2022 को दोपहर 03:00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए वांछित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी में ई-मेल आई०टी० (dfcagra@gmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

A.Kul

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

A.Kul

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा

पत्रांक 38 /29-1 आगरा, दिनांक, 4, जुलाई, 2022.

सेवा में

1. बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) आगरा (नोडल नगर निकाय)
6. अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) आगरा (नोडल राजस्व)
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।
8. उप श्रमायुक्त, आगरा।
9. उपायुक्त (श्रम रोजगार), संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, आगरा।
10. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, आगरा
11. जिला उद्यान अधिकारी, आगरा।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
14. जिला प्राविधिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रधानाचार्य, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा)
15. उपायुक्त जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आगरा।
16. सी०ई०ओ० छावनी बोर्ड, आगरा
17. डी०आर०एम० रेलवे, आगरा कैंट।
18. आर०एम० रोडवेज, आगरा
19. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
20. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
21. जिला पंचायतराज अधिकारी, आगरा
22. उप निदेशक कृषि, आगरा।
23. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
24. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
25. मुख्य अभियन्ता जल निगम आगरा (ग्रामीण एवं शहरी)।
26. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
27. अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा
28. अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, उ०प्र० पावर कार्पो० लि० आगरा।
29. रेशम विकास अधिकारी, आगरा।
30. पुलिस अधीक्षक यातायात, आगरा
31. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आगरा
32. संयुक्त आवास आयुक्त, आवास विकास, आगरा।
33. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
34. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, आगरा
35. क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यटन विभाग, आगरा।
36. अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
37. जिला खान अधिकारी, आगरा।
38. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा।
39. महाप्रबन्धक टोरंट पॉवर लि०, आगरा।
40. महाप्रबन्धक गैल गैस लि०, आगरा।
41. महाप्रबन्धक ग्रीन गैस लि०, आगरा।
42. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, आगरा।
43. सहायक निबन्धक, सहकारिता, आगरा।

44. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० आगरा
45. सचिव, आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन, आगरा।
46. सचिव, स्पीहा, आगरा।
47. श्री जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
48. पर्यावरण सेल, लघु भारती उद्योग, आगरा।
49. कार्यकारी अधिकारी, जे०आर०आर० मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, दयालबाग, आगरा।
50. प्रधानाचार्या, एस०एन० मेडिकल कॉलेज, आगरा।
51. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा।
52. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, आगरा।

विषय :- जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 27.06.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्या-2-2019-44 (रिट)/2016 लखनऊ दिनांक 14.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक दि० 27.06.2022 को गूगल मीट के माध्यम से अपरान्ह 4:00 बजे आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समयबद्ध रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए वांछित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी में ई-मेल आई०डी० (dfoagra@gmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 38 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

(अखिलेश पाण्डेय)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

**जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में वर्चुअल सम्पन्न "जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति" की बैठक दिनांक 27.06.2022 का कार्यवृत्त।**

क्र० सं०	कार्यवाही विन्दु	वस्तुस्थिति / अध्यक्ष महोदय के निर्देश	अभ्युक्ति / कार्यवाही से सम्बन्धित विभाग																				
1	2	3	4																				
1	जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेट लैण्ड समिति की गत बैठक दि० 30.05.2022 के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिसर्वा।	समिति द्वारा पिछली बैठक दि० 30.05.2022 के कार्यवृत्त तथा अनुपालन आख्या की पुष्टि की गई।	प्रभागीय निर्देशक, SAO/BAO प्रभाग आगरा																				
2	वर्षाकाल 2022 में पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण की तैयारी विषयक चर्चा। (अ) अग्रिम मूदा कार्य (गड़डा खुदान की प्रगति) (ब) पीव आपूर्ति (इण्डेन्ट जारी करने हेतु हेतु मांग पत्र	<p align="center"><b>जिला वृक्षारोपण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ</b></p> <p>(अ) --प्रभागीय निर्देशक, SAO/BAO प्रभाग आगरा द्वारा अद्यतन कराया गया कि वर्तमान तक गड़डा खुदान की स्थिति निम्न प्रकार है--</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>विभाग</th> <th>लक्ष्य</th> <th>गड़डा खुदान की प्रगति</th> <th>अवशेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>वन विभाग</td> <td>1461814</td> <td>1461814</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अन्य विभाग</td> <td>3647736</td> <td>3455991</td> <td>191745</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>5108550</td> <td>4917805</td> <td>191745</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार गणना पर्यावरण, पर्युपालन, नगर निकाय दयालबाग, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे आदि की गड़डा खुदान रिपोर्ट अनी प्राप्त नहीं हुई है जिसे प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी सम्बन्धित विभाग गड़डा खुदान की रिपोर्ट तत्काल प्रभागीय निर्देशक, आगरा को उपलब्ध करा दें। साथ ही पर्यावरण विभाग का लक्ष्य अधिक होने के कारण तथा उनके पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उनका लक्ष्य कतिपय विभाग तथा ग्राम्य विकास, कृषि तथा लोक निर्माण विभाग को आर्बटित कर दिया जाये जो कि उनको आर्बटित लक्ष्य के अतिरिक्त होगा।</p>	क्र०	विभाग	लक्ष्य	गड़डा खुदान की प्रगति	अवशेष	1.	वन विभाग	1461814	1461814	0	2.	अन्य विभाग	3647736	3455991	191745		योग	5108550	4917805	191745	कार्यवाही--प्रभागीय निर्देशक, SAO/BAO प्रभाग आगरा एवं सम्बन्धित कार्यवाही विभाग आगरा
क्र०	विभाग	लक्ष्य	गड़डा खुदान की प्रगति	अवशेष																			
1.	वन विभाग	1461814	1461814	0																			
2.	अन्य विभाग	3647736	3455991	191745																			
	योग	5108550	4917805	191745																			

	<p>(घ) - प्रभागीय निर्देशक, सा0वा0 प्रभाग आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2022 हेतु पीथ उपलब्ध करायें जाने के लिये स्मृति विभाग निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र प्रस्तुत कर दें ताकि इम्प्लेन्ट जारी कर पीथ आपूर्ति की कार्यवाही की जा सके। वृक्षारोपण हेतु दन विभाग की दीवशाखाओं में उपयुक्त मात्रा में पीथें उपलब्ध हैं। समस्त विभागों को पीथ मांग पत्र का प्रारूप तथा दन नर्सरियों की सूची एवं प्रजातिवार पीथ उपलब्धता की सूची उपलब्ध करा दी गयी है।</p>																													
3	<p>वन महोत्सव पर परिचर्चा।</p> <p>प्रभागीय निर्देशक, सा0वा0 प्रभाग आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि 1-7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया जाना है जिस हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा-मा0 मंत्री/सांसद/किसायक/अन्य जन प्रतिनिधि आदि से सम्पर्क कर उनको आमंत्रित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही-प्रभागीय निर्देशक, सा0वा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यदायी विभाग जि0 वृक्षा0 सन्निधि</p>																												
4	<p>अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना पर चर्चा।</p> <p>प्रभागीय निर्देशक सामाजिक वार्निकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदवार ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/म्युनिसिपल बोर्ड/नगर पालिका / नगर निगम म्युनिसिपल कार्पोरेशन की संख्या के आधार पर अमृत महोत्सव उद्यान की स्थापना के लक्ष्य जिलाधिकारी आगरा के पत्रांक 4812/29-1 दि0 09.05.2022 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं-</p> <table border="1" data-bbox="206 862 646 1713"> <thead> <tr> <th>क्र0 सं0</th> <th>ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम की संख्या</th> <th>स्थापित किए जाने वाले अमृत महोत्सव उद्यानों की सं0</th> <th>उद्यान स्थिति किए जाने वाली संख्या</th> <th>कुल स्थापित जाने वाले पीथ संख्या</th> <th>उद्यान के स्थापन से सम्बंधित विभाग</th> <th>वेबसाइट अधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ग्राम</td> <td>690</td> <td>75</td> <td>51750</td> <td>ग्राम विकास</td> <td>उपयुक्त (एम वेबसाइट)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>नगर</td> <td>07</td> <td>75</td> <td>525</td> <td>नगर विकास</td> <td>नगर विकास (एम वेबसाइट)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>नगर</td> <td>06</td> <td>750</td> <td>3750</td> <td>नगर विकास</td> <td>नगर विकास (एम वेबसाइट)</td> </tr> </tbody> </table>	क्र0 सं0	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम की संख्या	स्थापित किए जाने वाले अमृत महोत्सव उद्यानों की सं0	उद्यान स्थिति किए जाने वाली संख्या	कुल स्थापित जाने वाले पीथ संख्या	उद्यान के स्थापन से सम्बंधित विभाग	वेबसाइट अधिकारी	1	ग्राम	690	75	51750	ग्राम विकास	उपयुक्त (एम वेबसाइट)	2	नगर	07	75	525	नगर विकास	नगर विकास (एम वेबसाइट)	3	नगर	06	750	3750	नगर विकास	नगर विकास (एम वेबसाइट)	<p>कार्यवाही- 1-नगर आमुक्त नगर निगम आगरा 2-अपर जिलाधिकारी (वि0सा0), आगरा 3-समस्त खण्ड विकास अधिकारी आगरा 4-समस्त अधिशासी अधिकारी नगर 5-डी0सी0 मनरेगा।</p>
क्र0 सं0	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम की संख्या	स्थापित किए जाने वाले अमृत महोत्सव उद्यानों की सं0	उद्यान स्थिति किए जाने वाली संख्या	कुल स्थापित जाने वाले पीथ संख्या	उद्यान के स्थापन से सम्बंधित विभाग	वेबसाइट अधिकारी																								
1	ग्राम	690	75	51750	ग्राम विकास	उपयुक्त (एम वेबसाइट)																								
2	नगर	07	75	525	नगर विकास	नगर विकास (एम वेबसाइट)																								
3	नगर	06	750	3750	नगर विकास	नगर विकास (एम वेबसाइट)																								

6	<p>अन्य विभागों द्वारा किए गए वृक्षारोपण की सफलता के सम्बन्ध में सुझाव व चर्चा।</p>	<p>कार्यवाही—प्रभागीय निदेशक सा0बा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0पुशा0</p>																					
5	<p>वर्ष 2020-21 व 2021-22 में अन्य विभागों की वृक्षारोपण कास रीपोर्ट पर चर्चा।</p>	<p>कार्यवाही—प्रभागीय निदेशक सा0बा0 प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग जि0पुशा0 सम्बन्धि</p>																					
	<p>उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 243 अमृत मंडोत्सव उद्यान स्थल का घटान हरितिमा अमृत वन एप के माध्यम से किया जा चुका है जो आर्बिट्रल लक्ष्य के सापेक्ष काफी कम है जबकि सभी खण्ड विकास अधिकारियों को नोटल स्तर पर यूजर आई0डी0 और पासवर्ड जारी कर दिए गए हैं। अतः तत्काल हरितिमा अमृत मंडोत्सव उद्यान की स्थापना का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिए गए।</p> <table border="1" data-bbox="1189 817 1316 1691"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>703</th> <th>705</th> <th>750</th> <th>750</th> <th>पिनकोड</th> <th>(कि./को) आगरा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>नगर पिनकोड-01</td> <td>01</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>नगर पिनकोड</td> <td>नगर पिनकोड, आगरा</td> </tr> <tr> <td></td> <td>वोन - 703</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>66778</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अचगत कराया गया कि वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सभी विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का सत्यापन कराया गया था जिसमें से राजस्व, रैलवे, रक्षा एवं लोकनिर्माण विभाग की सत्यापन रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित विभाग एवं सत्यापन अधिकारियों को सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।</p> <p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक यानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अचगत कराया गया कि पत्रांक 1015/29-1 दिनांक 26.08.2021 द्वारा सभी विभागों को वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ वृक्षारोपण योजना-नर्गत किये गये वृक्षारोपण की सफलता हेतु सुझाव एवं रखरखाव किये जाने हेतु दिशानिर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में वर्षाकाल प्रारम्भ होने वाला है इसलिए सभी विभाग विगत वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण में मृत हुए पौधों के स्थान पर नये पौधे स्थापित कर वृक्षारोपण को सफल बनाये। इस हेतु अनुमन्य वीटिंग अप का प्राविधान प्रथम वर्ष एवं 10 प्रतिशत वीटिंगअप का प्राविधान द्वितीय वर्ष हेतु शासनादेशानुसार है।</p>	वर्ष	703	705	750	750	पिनकोड	(कि./को) आगरा	3	नगर पिनकोड-01	01	750	750	नगर पिनकोड	नगर पिनकोड, आगरा		वोन - 703	705	-	66778			
वर्ष	703	705	750	750	पिनकोड	(कि./को) आगरा																	
3	नगर पिनकोड-01	01	750	750	नगर पिनकोड	नगर पिनकोड, आगरा																	
	वोन - 703	705	-	66778																			

## जिला पर्यावरण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ

<p>7 वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा-एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.06.2021 में अपर मुख्य सचिव, UO PRO शासन द्वारा आगरा शहर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में।</p>		
<p>(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं जीOआरOपीO को सही विभागों के सम्बन्ध से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने एवं ग्रैप (Graded Response Action Plan) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है। तत्कम में कार्यालय के पत्र दिनांक 01.11.2021 द्वारा पुनः समस्त सम्बन्धित विभागों को ग्रैप के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सम्बन्धित विभागों द्वारा डेली एक्सन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। जिन्हें संकलित कर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>(ब) आईOआईOटीO कानपुर द्वारा चिन्हित प्रदूषण के हार्ड डिआरिटी डाटस्पाट विशेष "ट्रैफिक कन्वर्शन डाटस्पाट" को चिन्हित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आईOआईOटीO कानपुर द्वारा चिन्हित हार्ड प्रायोरिटी डाटस्पाट्स विशेष कर ट्रैफिक कन्वर्शन डाटस्पाट पर कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही पुलिस अधीक्षक (यातायात) आगरा द्वारा की जा रही है।</p>	<p>कार्यवाही-1- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, 2- पुलिस अधीक्षक यातायात आगरा</p>
<p>(स) आगरा के अपविन्द में स्थित ईट भट्टों के कलस्टर से उत्पन्न प्रदूषण की शोकाथाम हेतु भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्टों को जिगजैग पद्धति में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त ईट भट्टों को पत्र प्रेषित किये गये हैं। वर्तमान में 04 ईट भट्टों द्वारा जिगजैग पद्धति में परिवर्तित कर लिया गया है। अन्य द्वारा 01 वर्ष में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>(द) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों</p>		<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण</p>

	<p>हरयादि की डी0जी0 सेट में ग्रीन इंधन का प्रयोग तथा रेड्योकिटिंग किये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाये।</p>	<p>नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>8 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-94/2019 दीपक रामनाऊ गवांडे बनाम आयुक्त, अकोला म्युनिसिपल कार्पोरेशन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>कराया कि जनपद आगरा में डी0वी0पी0एन0एल0/टोरेंट पावर लि0 द्वारा निर्वाह विद्युत आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उद्योगों/अस्थालाओं आदि को डी0जी0 सेट को नस जनरेटर में परिवर्तित किये जाने की शर्त के साथ सहमति निर्गत की जा रही है।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा</p>
<p>9 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-180/2021 मुकुल कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आदेशों के अनुपालन में पत्रांक 37/ओ0जी-674/2022 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद आगरा में बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स-2016 के अनुपालन एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चत कराये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठक जिलाधिकारी महोदय से लिखि निवत कराकर शीघ्र ही करा दी जाएगी।</p>	<p>कार्यवाही-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0ए0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, प्रधानाचार्य भौतिक कौलेज, मुख्य चिकित्साधिकारी आगरा</p>
<p>10 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा द्वारा पोर्टल <a href="http://www.uppecp.in">www.uppecp.in</a> पर प्रदर्शित टेम्पलेट्स की अर्थाधिक सूचना पोर्टल पर अपलोड कराना।</p>	<p>जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि टेम्पलेट्स की माह मार्च, 2022 की मासिक प्रगति सूचना पोर्टल <a href="http://www.uppecp.in">www.uppecp.in</a> पर अपलोड करा दी गयी है।</p>	<p>कार्यवाही-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा एवं सम्स्त कार्यदायी विभाग जि0पर्या0 समिति</p>

जिला वेटरीण्ड समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियाँ		
<p>11 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर वाद संख्या-351/2018 राजा मुजफ्फर मूट बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर व अन्य के परिश्रेष्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में</p>	<p>प्रभागीय निदेशक साप्ताहिक वार्निकी प्रभाग, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों को वेटरीण्ड कंजर्वेशन, वॉटरवाडीज रेस्टोरेशन हेतु निर्देशित किया गया।</p>	<p>कार्यवाही- 1-वन विभाग, 2-पंचायत राज, 3-ग्राम्य विकास, 4-तणु सिंचाई, 5-सिंचाई, 6-कृषि, 7-नहरय व 8-अन्य विभाग जिनके रखाभित में वेटरीण्ड हो</p>
/अन्य विन्दु/अव्याज महोदय के निर्देश		
<p>1 अव्याज महोदय द्वारा दिये गये निर्देश</p>	<p>जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अवगत कराया गया, कि राष्ट्रीय वन नीति के प्राधिमार्नों के अनुसार जनपद का वनावरण 33 प्रतिशत होना आवश्यक है, परन्तु सर्वे ऑफ इण्डिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जनपद का वनावरण मात्र 6.50 प्रतिशत है जिसको बढ़ाया जाना अति आवश्यक है इसके लिये सभी विभाग एक जन आन्दोलन के रूप में गुंझारोपण करें, तथा इसे सकल बनाया जाये चौड़ी पत्ती वाले पौधों का रोपण कराया जाये जिससे ज्यूलोफूलोरा का दबाव कम हो कतिपय विभाग जिनके द्वारा अभी गड्डा खुदान कार्य पूर्ण नहीं किया गया है वह दो दिन के अन्दर गड्डा खुदान कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रभागीय निदेशक आगरा को प्रेषित करें।</p>	<p>-</p>
<p>2 डिस्ट्रिक्ट इन्वार्थमेंट प्लान में कुछ कमियाँ थी जिसका निराकरण कर पुनः डिस्ट्रिक्ट इन्वार्थमेंट प्लान उच्च स्तर को प्रेषित करना है।</p>	<p>प्रभागीय निदेशक सामाजिक वार्निकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि डिस्ट्रिक्ट इन्वार्थमेंट प्लान को संशोधित कर उसका तकनीकी परीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा से कराकर जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया था जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी, गहर को परीक्षण हेतु लिखा गया। अपर जिलाधिकारी, गहर ने कतिपय बिन्दुओं पर नगर निकायों से संशोधन कराकर उन्हें वापस उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है जिसके सम्बन्ध में इस</p>	<p>1-नगर निकाय, 2-जल निगम,</p>

3	<p>श्री कॅंसीड जैन सादरय जिला पर्यावरण समिति द्वारा अनुप्रेष किया गया कि जनपद बंदरों में बंदरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसे आये दिन समस्यारव हो रही है इसका निदान कराया जाए</p>	<p>कार्यालय के पत्रांक 5442/29-1 दि० 16.06.2022 द्वारा सम्बन्धित शिवागों को लिखा गया है कि शीघ्र संशोधित डिस्ट्रिक्ट इन्वार्पमेंट प्लान प्रेषित करें परन्तु अभी जल निगम, एवं नगर निकाया से संशोधित सूचना अपास है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम आगरा द्वारा बंदरों को पकड़े जाने के सम्बन्ध में अनुप्रेष किया गया था जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा वाइल्ड लाईफ एण्डओएस्सो कीटम के भाव्यम से एक कार्ययोजना तैयार कर नगर आयुक्त नगर निगम आगरा की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं परन्तु नगर निगम / वाइल्ड लाईफ एण्डओएस्सो के स्तर से कार्ययोजना अभी अपास है, कार्ययोजना प्राप्त होते ही बंदरों को पकड़ने / छोड़ने पर नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।</p>	
---	---	---	--

(अखिलेश पाण्डेय)  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

दिलीपिकासे  
 आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा<sup>161</sup>

पत्रांक 5271 / आगरा, दिनांक, 8 जून, 2022.

सेवा में

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. उपकायस्थ, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) आगरा (नौदल राजस्व एवं नगर विकास)
6. मुख्य विधिवत्ता अधिकारी, आगरा।
7. उप सहायक, आगरा।
8. सहायक (भूमि संचालन), संयुक्त जिला कार्यालय सहायक, आगरा।
9. मुख्य वस्तु विधिवत्ता अधिकारी, आगरा।
10. जिला संचालन अधिकारी, आगरा।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
12. जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी, आगरा।
13. जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, आगरा (प्रशासनिक, राजकीय धर्म सहायक, आगरा)
14. सहायक जिला संचालन एवं संचालन प्रोत्साहन केंद्र, आगरा।
15. सी०ई०ओ० सचनी बोर्ड, आगरा।
16. ए०डी०आर०ए०के० देलवे, आगरा ईट।
17. आर०ए०के० रोडवेज, आगरा।
18. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, ए०डी० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, ए०डी० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
20. जिला संचालन अधिकारी, आगरा।
21. उप निदेशक कृषि, आगरा।
22. जिला विकास अधिकारी, आगरा।
23. जिला अर्थ एवं संचालन अधिकारी, आगरा।
24. मुख्य अभियन्ता जल निगम आगरा।
25. अभियन्ता अभियन्ता, प्रांतीय स्तर, सड़क निर्माण विभाग, आगरा।
26. अभियन्ता अभियन्ता, स्लोअर धरण, आगरा नहर, आगरा।
27. अभियन्ता अभियन्ता, पश्चिमोत्तर विद्युत शिफ्टिंग निगम लि०, ए०डी० पावर कार्पो० लि० आगरा।
28. रेशम विकास अधिकारी, आगरा।
29. पुलिस अधीक्षक सहायक, आगरा।
30. सहायकी परिचयन अधिकारी, आगरा।
31. संयुक्त आयुक्त आयुक्त, आवास विकास, आगरा।
32. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, आगरा।
33. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ए०डी०एस०आई०डी०सी०, आगरा।
34. क्षेत्रीय अधिकारी, सर्वेक्षण विभाग, आगरा।
35. अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व विभाग, आगरा।
36. जिला संचालन अधिकारी, आगरा।
37. प्रोजेक्ट कार्पोरेटर, मेट्रो रेल कार्पोरेशन, आगरा।
38. महाप्रबन्धक टोर्नट पीपर लि०, आगरा।
39. महाप्रबन्धक गैल गैल लि०, आगरा।

40. महाप्रबन्धक ग्रीन गैस लि०, आगरा।
41. सनसत अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, आगरा।
42. सहायक निबंधक, सहायक, आगरा।
43. परियोजना निदेशक, एन०एच०ए०आई० आगरा
44. सचिव, आगरा डवलपमेंट फाउण्डेशन, आगरा।
45. सचिव, स्वीहा, आगरा।
46. श्री जियोन्ड शर्मा, संयुक्त जैव चिकित्सा व्यवस्था, आगरा।
47. पर्यावरण सेल, लघु भारती उद्योग, आगरा।
48. स्वयंकारी अधिकारी, फे०अर०आर० मैनेजमेंट प्रा०लि०, दयालबाग, आगरा।
49. प्रधानाचार्य, ए०ए०ए० मेडिकल कॉलेज, आगरा।

विषय :- जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति की आयोजित बैठक दिनांक 30.05.2022 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत करना है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-13/2019/एन०जी०टी०-257/55-पर्य-2-2019-44 (रिट)/2016. लखनऊ दिनांक 14.09.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी आगरा की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक दि० 30.05.2022 को गूगल मीट के माध्यम से अपरान्त 200 बजे आयोजित की गयी थी जिसका कार्यवृत्त आपको संलग्न कर इस आराय से प्रेषित है कि अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सगवदक रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित अनुपालन आख्या इस कार्यालय को दर्ज करी तथा साफ्ट कॉपी में ई-मेल आई०डी० (dfoagra@gmail.com) पर एक सप्ताह के अन्दर शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक / तारीख/दिनांक।

प्रतिरिपि वन संरक्षक, आगरा दूर, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।  
प्रतिरिपि जिलाधिकारी महोदय, आगरा को अवलोकन हेतु प्रेषित।

भवदीय  
G  
अखिलेश पाण्डेय  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक चानिकी प्रभाग, आगरा।  
5

G  
अखिलेश पाण्डेय  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक चानिकी प्रभाग, आगरा।

जिलाधिकारी महोदय, आगरा की अध्यक्षता में वर्चुअल सम्मन "जिला पर्यावरण समिति, जिला दूधारोपण समिति एवं जिला वेटलेण्ड समिति" की बैठक दिनांक 30.05.2022 का कार्यवृत्त।

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	वस्तुनिष्ठ/अग्रगत कार्यवृत्त के निर्देश	अनुमति/कार्यवाही से सम्बंधित विवरण
1	2	3	4
<b>जिला पर्यावरण समिति से सम्बंधित कार्यवाहियाँ</b>			
1	घाघु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण की समीक्षा-एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 29.05.2022 में अग्र मुद्रण अधिनियम 1986 लागू करके अग्रगत स्तर के सम्बंध में दिशे गये निर्देशों के अनुपालन में।		
	(अ) घाघु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी के सम्बंध से प्रभावी तरीके से काम चलाया जाये।	देशीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि घाघु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के क्रियान्वयन विधे जाने एवं एअर (Graded Response Action Plan) के क्रियान्वयन के सम्बंध में समस्त सम्बंधित विभागों को जिलाधिकारी महोदय के वर दिनांक 21.10.2021 द्वारा निर्देशित किया गया है। हाल में समीक्षा के पत्र दिनांक 01.11.2021 द्वारा पुनः समस्त सम्बंधित विभागों को एअर के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सम्बंधित विभागों द्वारा ऐसी एक्शन रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से कार्ययोजना को उपलब्ध कराई जा रही है। जिसे संश्लेषित कर बोर्ड मुद्रणालय प्रेषित किया जा रहा है।	कार्यवाही-देशीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
	(ब) आईआरआईसीए कागपुर द्वारा विहित प्रदूषण के हाई रिजल्टिटी इन्टरफेस विशेष "ट्रैकिंग कन्वैशन इन्टरफेस" को विहित कर एअर की कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित की जाये।	देशीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आईआरआईसीए कागपुर द्वारा विहित हाई रिजल्टिटी इन्टरफेस विशेष कर ट्रैकिंग कन्वैशन इन्टरफेस पर कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही मुद्रित अधिकारी (महापाठ) आगरा द्वारा की जा रही है।	कार्यवाही-देशीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, मुद्रित अधिकारी महापाठ आगरा



	(क) आगरा के कार्यवाही में विद्यार्थी ईट नददों के कलक्टर से जगित प्रदूषण की संकथान हेतु भी प्रभावी कार्यवाही की जावे।	राज्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि ईट नददों को जिनगीन पद्धति में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त ईट नददों को पत्र प्रेषित किये गये हैं। वर्तमान में 04 ईट नददों द्वारा जिनगीन पद्धति में परिवर्तित कर लिया गया है। अन्य द्वारा 01 जून में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में राफ्त पत्र प्रेषित किया गया है।	कार्यवाही-राज्य अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
	(द) ध्वजस्तम्भ प्रतिष्ठान, अस्पतालों इत्यादि की सीमेंटींग सेट में ग्रीन ईंधन का प्रयोग तथा रेड्युफिकेशन किये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जावे।	राज्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया कि जनपद आगरा में सीमेंटींग/रेड्युफिकेशन/टॉरेंट कवर लिमिटेड निर्माण विपुल आयुर्त की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपरोक्त/अस्पतालों आदि को सीमेंटींग सेट को ग्रीन प्लानेट में परिवर्तित किये जाने की शर्त के साथ सहमति निर्गत की जा रही है।	कार्यवाही-राज्य अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
2	भा.रा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.ए. संख्या-04/2010 दीपक सामग्री के संबंध में आगुता, अखिला मुनिधियल अपरिचलन एवं अन्य से शरित आदेश दिनांक 15.07.2021 के अनुपालन करावे जाने के सम्बन्ध में।	राज्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आदेशों के अनुपालन में होटल/रेस्टोरेंट/मीटिंग/बैरिडिग हरिस द्वारा टैरिडिग जल, ध्वनि प्रदूषण, सॉलिसिड वेस्ट मैनेजमेण्ट एवं जल/वायु प्रदूषण की संकथान हेतु नगर आगुता, नगर निगम, आगरा, उपायय, आगरा डिजल प्राधिकरण, आगरा, अपर डिजायिकारी (नगर), आगरा एवं पुलिस अखिल (याजयार), आगरा को अनुपालन कर अवगत करावे जाने हेतु अनुदेश किया गया है।	कार्यवाही-राज्य अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा
3	भा.रा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए.ए. संख्या-180/2021 मुकुल कुमार बनान स्टेट ऑफ सुप्रीम एवं अदर में शरित आदेश दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन करावे जाने के सम्बन्ध में।	राज्य अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आदेशों के अनुपालन में पत्रांक 37/ओपी-074/2022 दिनांक 08.04.2022 द्वारा डिजायिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद आगरा में नारोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट काल-2016 के अनुपालन एवं प्रभावी अनुभव सुनिरकत करावे जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।	कार्यवाही-राज्य अधिकारी उपाय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आगरा, प्रभावाचार्य मेडिकल कॉलेज, मुकुल डिजिररायिकारी आगरा
4	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा द्वारा पोर्टल <a href="http://www.uptcp.in">www.uptcp.in</a> पर प्रदर्शित टैम्पलेट्स की अयायिक सूचना पोर्टल पर अपलोड कराना।	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि टैम्पलेट्स की गांध अर्षित, 2022 की शरित प्रगति सुचना पोर्टल <a href="http://www.uptcp.in">www.uptcp.in</a> पर अपलोड करा दी गयी है।	कार्यवाही-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग डिजयार शरित

<p>5</p>	<p>श्री रवि गोपी शिकायतकों द्वारा शिकायती क्षेत्र में संचालित खनिज संपु इलेक्ट्रोपोटिंग/इनीटेशन जैसी इकाईयों की शिकायत के सम्बन्ध में।</p>	<p>1-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अग्रगत कराया गया है कि अग्रगत जिला पर्यावरण समिति/ जिलाधिकारी गणेश्वर, आगरा द्वारा उक्त शिकायत के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि विद्यार्थी क्षेत्र में संचालित इलेक्ट्रोपोटिंग/ इनीटेशन जैसी इकाईयों पर कार्यवाही आगरा विकास प्राधिकरण के तहत ही की जाएगी। ऐसी शिकायतें जोकि लेन्ड यूज के विपरीत संचालित हैं उसे आगरा विकास प्राधिकरण को कार्यवाही हेतु अधिसूचित कर दिया जाये। उपरोक्त प्रकरण पर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा से आरम्भ अवैधित है। 2-आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने अपने पत्रांक 151/डी/अ.वि./22-23 दि 21.04.2022 द्वारा अग्रगत कराया गया है कि आगरा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय अवर अभियन्ताओं द्वारा समय-समय पर अपने क्षेत्रनिर्गत सर्वे किया जाता है। सर्वे उपरान्त आवश्यक भू उपयोग में संचालित व्यवसायिक इकाईयों के विरुद्ध 80वां नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्य करते हुए बाद में विचार लिए जाते हैं। यदि संचालनकर्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी व्यवसायिक गतिविधियों बंद नहीं की जाती हैं तो उनसे विरुद्ध नियन्त्रणकार उक्त अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। चूंकि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा रोड नं 110 को इस आशय का पत्र भी भेजा किया गया है कि आवश्यक मामलों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों को व्यवसायिक कनेक्शन न दिया जाये।</p>	<p>कार्यवाही-आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा</p>		
<p>जिला वृक्षारोपण समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियों</p>		<p>1</p>	<p>सर्वांकल 2022 में पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण की वारंटी निश्चयक धर्मा।</p>	<p>क्षेत्रीय निदेशक, साधना प्रभाग, आगरा द्वारा विगत पांच वर्षों में इन विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण को हरिष्ठीया संदर्भ में सहायगी कराया गया। वर्ष 2022-23 में जनपद का लक्ष्य 61.00 लाख है जिसमें से 14.51 एवं अन्य विभागों द्वारा 36.48 लाख किया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण हेतु इन विभाग, रायपुर विभाग एवं साइबेट संस्थानों से भी उपलब्ध है। वृक्षारोपण कार्य सभी विभागों की सहभागिता में सम्पन्न किया जायेगा जिसमें इन विभाग एवं प्राथम विकास विभाग का तथा अधिकतम है। चूंकि ही यह भी अग्रगत कराया कि जनपद में विभिन्न आ रहे वृक्षारोपण के दृष्टिकोण भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में जनपद के वनवृक्ष में वृद्धि होगी। सभी विभागों को वर्ष 2022-23 वृक्षारोपण हेतु निदेशिकाओं अग्रगत के पत्रांक 2456/20-1 दि 18.12.2021 विद्य</p>	<p>कार्यवाही-प्रशासकीय निदेशक, साधना प्रभाग आगरा एवं समस्त कार्यवाही विभाग सित वृक्षारोपण समिति</p>



क्र	वर्ष	संख्या			वर्ष	वर्ष	वर्ष
		सं	सं	सं			
1	2020-21	2020	2021	2022	2020	2021	2022
2	2021-22	2021	2022	2023	2021	2022	2023
3	2022-23	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	2020-21 व 2021-22 में अन्य विभागों की प्रस्तावनाओं का वार्षिक रिपोर्ट पर कार्य।	2020	2021	2022	2020	2021	2022
5	अन्य विभागों द्वारा किए गए प्रस्तावनाओं की संख्याओं को संशोधन में सुधार व कार्य।	2020	2021	2022	2020	2021	2022
6	सब राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से टावर सार संख्या-351/2018 राजा मुनवर अहमद बनाम स्टेट बैंक ऑफ़ जम्मू कश्मीर व अन्य के परिसीय में पारित आदेश दिनांक 25.11.2021 को अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में	2020	2021	2022	2020	2021	2022

अभूत पूर्वोक्त उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में सभी कार्यवाही विभागों द्वारा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।

प्रशासनिक निदेशक सार्वजनिक धनिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अग्रगत कालका गज साधारण कालका गज का विभागों से नगर निगम, अन्य, राजस्व, वसति, रेलवे, सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराये हेतु सम्बन्धित विभाग एवं सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।

प्रशासनिक निदेशक सार्वजनिक धनिकी प्रभाग, आगरा द्वारा अग्रगत कालका गज साधारण कालका गज का विभागों से नगर निगम, अन्य, राजस्व, वसति, रेलवे, सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध कराये हेतु निर्देश दिये गये।

जिला गेटवेयर्ड समिति से सम्बन्धित कार्यवाहियों प्रशासनिक निदेशक सार्वजनिक धनिकी प्रभाग, आगरा द्वारा सम्बन्धित विभागों से गेटवेयर्ड संशोधन, गेटवेयर्ड संशोधन हेतु निर्देश दिये गये।

कार्यवाही-प्रशासनिक निदेशक सार्वजनिक आगरा एवं सार्वजनिक रिपोर्ट विभाग

कार्यवाही-प्रशासनिक निदेशक सार्वजनिक आगरा एवं सार्वजनिक रिपोर्ट विभाग

कार्यवाही-जन विभाग, अंधासत राज, प्रभाग विभाग, सशु रिपोर्ट, सिंधाई, सुनि, सार्वजनिक अन्य विभाग विभागों के संदर्भ में



<p>किस से ज्ञात कार्यक्रम द्वारा दिये गये निर्देश</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मुख्य विधित्ता अधिकारी एवं आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित न होने के अतिरिक्त बैठकों में शक्य हो उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये।</li> <li>• एकाग्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा आगरा का प्रदूषणरोपण स्थल विधित्ता आगरा को आवंटित करने/संशोधन हेतु निर्देश दिये गये।</li> <li>• जलनद में अधिक से अधिक प्रदूषण एवं उसकी सुधारा सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए।</li> <li>• होटल/रेस्टोरेन्ट आदि द्वारा आदरों का अनुपालन न करने पर चुर्चुरी की सुधारा हेतु निर्देश दिये गये।</li> </ul>	
---	--	--

  
 (अधिलेख सम्पन्न)  
 प्रशासनिक निर्देशक  
 सार्वजनिक स्वच्छता विभाग, आगरा।  
 20/05/2022

  
 जिलाधिकारी  
 आगरा।

5000  
11/5/19  
A-3

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,  
गृह/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/खाद्य एवं  
रसद/उद्योग/उद्यान/परिवहन/लोक निर्माण/कृषि/वन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा उओप्रओ के 15 चिन्हित नॉन अटेन्मेंट शहर यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, फिरोजाबाद, अनपरा, गजरोला, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओओएओ संख्या- 681/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उओप्रओ शासन द्वारा 06 सदस्यीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायु गुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः प्रश्नगत कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें-

1. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित शार्ट टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं को जिला स्तर से तत्काल क्रियान्वित कराने हेतु अपने संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
2. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित लॉग टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु यथाआवश्यकता डीओपीओआरओ तैयार कराकर एवं बजट व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्ययोजना के बिन्दुओं को समयान्तर्गत लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उओप्रओ शासन एवं सदस्य सचिव, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

यह भी अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्ययोजनाओं में उल्लिखित कार्यवाही बिन्दुओं का निर्धारित समयान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

जि. आगरा  
23/4/2019

भवदीय

(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)  
मुख्य सचिव

324  
RO, PCB

संख्या: NPTA-130(1)/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 तदुदिनांकित  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, अमरोहा, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली।  
सदस्य सचिव, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

नमो कृत्य  
25/4/19  
A-50  
11/5/19

आज्ञा से  
(भारत प्रसाद)  
अनु सचिव।